माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए बजट अनुमान एवं वित्त विधेयक 2008 प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ।

महोदय,

2007 की अप्रत्याशित भीषण बाढ़ ने पिछले अनेक वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। केवल बड़ी आबादी ही प्रभावित नहीं हुई, बल्कि बाढ़ ने राज्य के वित्तीय संसाधनो को भी झकझोर दिया। बाढ़ पीड़ितों को बड़े पैमाने पर राहत पहुँचाना, ध्वस्त आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं आर्थिक गतिविधियों को फिर से संचालित करना, एक बड़ी चुनौती थी। यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सीमित संसाधनों के बावजूद बाढ़–पीड़ितों के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी गयी। केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पायी है। फिर भी आज तक के बिहार का सबसे बड़ा बाढ़ राहत अभियान जनता के सहयोग से चलाया गया है।

बहरहाल, बजट में 6 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

पहला, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का दूसरा वर्ष है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 11वीं योजना के Approach paper में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 58,310 करोड़ सार्वजनिक निवेश तथा 1,08,283 करोड़ निजी निवेश का अनुमान किया गया था। परन्तु पिछले वर्ष के 10,200 करोड़ के योजना आकार के मद्देनजर 11वीं योजना के अन्त तक सार्वजनिक उद्व्यय 65 हजार करोड़ तक आसानी से जा सकता है।

दूसरा, हमें इस बात की पहचान है कि जीने का स्तर (Quality of Life) विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी इच्छा केवल योजना उद्व्यय को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय के साथ विकास हासिल करना है।

गरीबी की पहचान पर हमने राष्ट्रीय बहस छेड़ी है। पिछले दिनों पटना में आयोजित गरीबी पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गरीबी की पहचान एवं गरीबी दूर करने की रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। राज्य में गरीबों की संख्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की संख्या से कहीं ज्यादा है। हमारी पीढ़ी गरीबी को अपने सामने अन्त होते देखना चाहती है। हम अगली पीढ़ी को गरीबों की विशाल फौज विरासत के रूप में नहीं सौंपना चाहते हैं। इसलिए हमारी विकास की रणनीति का मुख्य आधार गरीबी रेखा

से नीचे जीनेवालों की संख्या को तेजी से कम करते जाना है।

तीसरा, बिहार विकास दर (Growth Rate) और मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) के सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। इसलिए हमलोगों ने योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 13 महत्वपूर्ण अनुश्रवणीय कसौटियों (13 Critical Monitorable Criteria) को अपनाने का फैसला किया है। यद्यपि यह लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है फिर भी इसे हासिल करने की रणनीति बनायी गयी है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुश्रवणीय सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य

क्र.	कार्यक्रम	वर्तमान परिदृश्य	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
1	सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	5.67	8.5
2	कृषि उत्पाद विकास दर	0.96 (10वीं पंचवर्षीय योजना)	5.70%
3	कार्य के नये अवसरों का सृजन		50 लाख
4	गरीबी दर	41.5 (2004–05)	28.4
5	प्राथमिकी विद्यालयों में छीजन दर	78.03% (2003–04)	27.85%
6	साक्षरता दर	46.96% (2001)	64.04%
7	साक्षरता में लिंग विभेद	26.6% (2001)	17.40%
8	शिशु मृत्यु दर में कमी	61%	29%
9	मातृ मृत्यु दर में कमी	371 प्रति लाख	123 प्रति लाख
10	कुल प्रजनन दर में कमी	4.3	3.0
11	0–3 आयु वर्ग के बच्चों के कुपोषण में कमी	54.4	27.2
12	महिलाओं एवं बालिकाओं में रक्ताल्पता	63.4	31.7
13	लिंग अनुपात	942	950

चौथा, कृषि हमारी अर्थ–व्यवस्था का मुख्य आधार (Core Competance) है। हमारी 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर एवं कृषि की इन्द्रधनुषी परिकल्पना से किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सकती है।

हम कृषि की इन्द्रधनुषी क्रान्ति चाहते हैं जिसमें पशुपालन, पाउल्ट्री, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी, औषधीय, सुगंधीय पौधे, वर्मी कम्पोस्ट सब शामिल हों। इसलिए पिछले दिनों किसान पंचायत आयोजित की गई। इस वर्ष को **'कृषि वर्ष'** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कृषि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि हम कृषि की विकास दर 4–6 प्रतिशत हासिल कर सकें।

पाँचवा, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा राज्य एवं देश के बाहर प्रवासी बिहारियों का है। हम देश और दुनिया में फैले बिहारियों की पूर्ण सुरक्षा, उनके कल्याण तथा मान–सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हम उनके हुनर और कौशल विकास के लिए, उन्नत प्रशिक्षण के लिए तत्पर हैं। इससे उनको बेहतर काम मिलेगा, अधिक आय होगी और उनका प्रेषित धन (Remittence) भी बढ़ेगा। यद्यपि प्रवास (Migration) की प्रसांगिकता बनी रहेगी परन्तु हम चाहेंगे कि प्रवास आर्थिक बाध्यता के कारण नहीं बल्कि रोजगार के वैकल्पिक अवसर के रूप में हो।

इसी क्रम में मारीशस के प्रधानमंत्री डा. नवीन चन्द्र रामगुलाम की बिहार यात्रा ने बिहारियों के स्वाभिमान को जगा दिया है। जिनके पुरखे कुली बनकर गए थे वे आज प्रधानमंत्री बनकर अपनी माटी पर लौटें हैं। बिहारवंशी डा. रामगुलाम की इस यात्रा ने दुनिया भर में फैले बिहारियों में अपने पुराने नालन्दा कालीन गौरव को लौटाने का संकल्प जगा दिया है।

छठा, सामाजिक संरचना के साथ–साथ आधारभूत संरचना के विकास से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है। सर्वाधिक राशि देकर सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उत्पादन क्षमता तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निजी दूरसंचार संचालकों के बीच बढ़ी हुई प्रतियोगिता से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क में सुधार हो रहा है।

अंततः, बिहार के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास की दौड़ में देर से शामिल होने के कारण जबतक सामाजिक और आधारभूत संरचना निजी क्षेत्र को आकर्षित नहीं करती है तब तक हमें सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। निजी निवेश तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के अनुकूल वातावरण बना है। बड़े–बड़े उद्योग समूहों ने बिहार में रूचि लेना प्रारम्भ किया है। बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनरूद्धार में निजी निवेशकों की रूचि उत्साहवर्धक है। योजना आयोग ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर काफी बल दिया है। हम बिहार के लिए इसका उपयुक्त मॉडल अपनाने की प्रक्रिया में हैं।

मेरे बजट प्रस्ताव को उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। हम 11वीं योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हमारा प्रयास होगा कि बिहार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को बजट सत्र के दौरान रखा जा सके। हम केवल बाजार की ताकतों के भरोसे आम आदमी को नहीं छोड़ना चाहते। हम विकास को समानता और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके।

वृहत आर्थिक अवलोकन

राज्य सरकार 31 मार्च के पूर्व पूर्ण बजट पारित कराने की परम्परा को कायम रखते हुए 2008–09 का बजट प्रस्तुत कर रही है। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी की वर्ष 2008–09

का योजना आकार 13,500 करोड़ निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 हजार 300 करोड़ ज्यादा है। यह 2004–05 के व्यय 3124.38 से चार गुणा एवं 2005–06 के 4379.67 से तीन गुणा से ज्यादा है।

जब नवम्बर 2005 में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमलोग सरकार में आए, उस समय वित्तीय स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी। नई सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन के चार मुख्य तत्वों संसाधन उगाही (Resource Mobilisation), व्यय का विवेकीकरण (Rationalisation of Expenditure), घाटे का प्रबन्धन (Deficit Management) और ऋण दायित्व के प्रबन्धन (Debt Management) पर ध्यान केन्द्रित किया।

राज्य के अपने कर राजस्व (Tax Revenue) में पिछले 2 वर्षों में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है जबकि उसके पिछले दो वर्षों में वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत थी। साथ ही 2007–08 में राजस्व खाते में 3794 करोड़ की बचत की सम्भावना है। वर्ष 2003–04 तक राजस्व खाते में घाटा था। राजस्व घाटे को ऋण से पूरा किया जाता था। राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को पिछले 2 वर्षो में भी नियन्त्रण में रख पाने में सफलता मिली है। सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में 2003–04 में राजकोषीय घाटा 6.52 प्रतिशत था जबकि 2007–08 में 3.43 प्रतिशत रहने की सम्भावना है जो FRBM Act के अनुरूप है।

Rationalisation of Expenditure के तहत वित्तीय शक्तियों को विकेन्द्रित किया गया। 2.5 करोड़ तक की योजना विभागीय सचिव, 10 करोड़ तक विभागीय मंत्री, 20 करोड़ तक वित्त मंत्री और 20 करोड़ से अधिक की योजना ही अब मंत्रिपरिषद् में जाती है। योजना और गैर योजना व्यय का अन्तर 2005–06 से कम हुआ है। 2007–08 में गैर योजना व्यय योजना व्यय से दोगुने से कम है जबकि 6 वर्ष पूर्व यह चार गुणा था। पूंजीगत व्यय जहाँ पहले कुल व्यय का 6 प्रतिशत हुआ करता था पिछले वर्ष 20 प्रतिशत तक पहुँचा है।

कुल ऋण 31.03.2007 को 44,226 करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का 46.9 प्रतिशत है। कुल राजस्व व्यय में सूद मद में 3796 करोड़, वेतन मद में 7740 करोड़, पेंशन 3438 करोड़ तथा पुराने ऋण भुगतान में 1676 करोड़ अर्थात् कुल 18,390 करोड़ बाध्यकारी व्यय है। इसके पूर्व के वर्षों में GSDP के प्रतिशत के रूप में कर्ज 2002–03 में 49 प्रतिशत था जो 2005–06 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। परन्तु उसके बाद उसको नीचे लाया गया और अब पिछले 2 वर्षों में 46–47 प्रतिशत के आसपास है।

विभागावार वार्षिक योजना उद्व्यय 2008–09

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.	विभाग का नाम	योजना उद्व्यय
1.	पथ निर्माण विभाग	1899.46
2.	जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन	1785.79
3.	मानव संसाधन, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	1361.72
4.	ग्रामीण कार्य विभाग	1168.33
5.	ऊर्जा	1048.33
6.	ग्रामीण विकास	1000.52
7.	योजना एवं विकास	413.99
8.	उद्योग	360.00
9.	कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता	343.73
10.	स्वास्थ्य	138.50
11.	सूचना प्रावैधिकी	100.00
12.	पंचायती राज	547.85
13.	नगर विकास	980.47
14.	समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग, अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	1223.98
15.	आपदा प्रबंधन	466.00
16.	अन्य विभाग	661.33
	योग	13,500.00

आपदा प्रबंधन विभाग

- वर्ष 2007 में बाढ की अप्रत्याशित विभीषिका ने 2.48 करोड़ आबादी को प्रभावित किया। वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने आजतक का सबसे बड़ा राहत अभियान अत्यंत व्यापक रूप से तथा पारदर्शिता के साथ चलाया। इस क्रम में राज्य ने गैर योजना मद से 1365.19 करोड़ का प्रावधान अबतक किया है। साथ ही साथ सरकार ने विभिन्न अनुमानों के आधार पर केन्द्र से करीब 2150 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया है। परन्तु अभी तक इसके विरूद्ध कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।
- वर्ष 2007 में 7.37 लाख घर क्षतिग्रस्त/धवस्त हुए । इस हेतु सहायता के लिए वर्ष 2007 में की गई कार्रवाई न सिर्फ अतुलनीय है अपितु ऐतिहासिक भी है। वर्ष 2007 में लगभग 300 करोड़ रूपये गैर योजना सी. आर. एफ. के अन्तर्गत एवं बिहार के

इतिहास में पहली बार 5 लाख बाढ से पूर्णतः धवस्त कच्चे मकान तथा झोपड़ियों के पक्का निर्माण के लिए **'मुख्यमंत्री आवास योजना'** के अन्तर्गत प्रति परिवार 25,000 हजार रूपये वर्ष 2007–08 में कुल 484 करोड़ अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसी योजना में वर्ष 2008–09 में 466 करोड़ रूपया प्रदान किया जाएगा।

- वर्ष 2007 में प्रत्येक परिवार को एक किवंटल की दर से खाद्यान उपलब्ध कराये गए, जो इतिहास में अद्वितीय है।
- बाढ से मृत्यु के मामले में प्रत्येक मृतक के आश्रित को एक लाख रूपया दिया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 50,000 रूपये अनुग्रह अनुदान दिया गया है।
- वर्ष 2007 में 200 रूपये प्रति परिवार की दर से 105.85 करोड़ रूपये दिए गए।
- वर्ष 2007 में इनपुट सब्सिडी हेतु सी. आर. एफ. से 140 करोड़ रूपये एवं राज्य सरकार के अपने संसाधन से 150 करोड़ रूपये, कुल 290 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए।
- **माननीय मुख्यमंत्री** ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का **तीन बार दौरा** कर बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा की।
- सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित 8 जिलों में प्रभारी मंत्रीगण 2 माह तक कैम्प करते रहे तथा वरीय अधिकारियों को **विशेष जिलाधिकारी** बनाकर भेजा गया।
- सभी स्तरों पर **सर्वदलीय अनुश्रवण समिति** का गठन कर जन प्रतिनिधियों के निर्देशन में अभूतपूर्व राहत वितरण कार्य हुआ।

बैंको की भूमिका

राज्य सरकार के प्रयास से बाढ़ के दौरान पहली बार राज्य के बैंको ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को विशेष ऋण उपलब्ध कराया। बाढ़ प्रभावित 22 जिलों के 1 लाख 83 हजार लोगों के बीच 282.44 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया। 69 हजार लोगों को 49 करोड़ रूपये का Consumption Loan, 92 हजार 450 बाढ़ पीड़ितों को 219 करोड़ रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड तथा 14 हजार लोगों के ऋण वसूली स्थगित कर उनके ऋण को Reschedule किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहयोग

पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंग्लैण्ड की डी0 एफ0 आई0 डी0 तथा जापान की जे0 बी0 आई0 सी0 ने संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बिहार को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दिया।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन की सीमाओं के अंदर ही अधिकाधिक ऋण लेकर राज्य के विकास के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सीमित ऋण भी, जितनी कम ब्याज–दरों पर लिया जायेगा उतनी ही इसकी अदायगी में कम व्यय आयेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऋण 8.50 प्रतिशत की दर पर प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें यथा–विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक आदि अपेक्षाकृत कम सूद–दर पर ऋण और कुछ मामलों में अनुदान देती हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में लिए गये नीतिगत एवं वैधानिक सुधार कदमों से प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें बिहार की तरफ आकर्षित हुई हैं और उन्हें विश्वास हुआ है कि राज्य में विकास के लिए अवसर की खिड़की अब खुली है।

1. विश्व बैंक:

(क) विकासात्मक नीति ऋण (Development Policy Loan) ($ 225 million/ 877.7 **करोड़ रू)**

विश्व बैंक के साथ 15.01.2008 को ही इस ऋण के लिए हस्ताक्षर किये गये हैं । यह राज्य सरकार ,द्वारा किये जा रहे नीतिगत सुधारों के लिए बजट समर्थन ऋण है। राज्य सरकार ऋण से प्राप्त राशि का पुराने उच्च दर के ऋणों के भुगतान और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय करेगी। इसमें 150 Million (585 करोड़) ऋण है, जिसे 20 वर्षों में अदा करना होगा। ब्याज की दर LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) आधारित है, जो लगभग 5.7 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त 75 million (292.5 करोड़ रू0) पर ब्याज की दर शून्य है, लेकिन 0.75 प्रतिशत सेवा शुल्क लगता है। यह 35 वर्ष में वापस करना होगा और प्रथम 10 वर्षों में अदायगी नहीं होगी। इसकी प्रथम किश्त 112 मिलियन यू0 एस0 डॉलर (436 करोड़ रू.) इसी वित्तीय वर्ष में मिल जायेगी और द्वितीय किश्त जून–जुलाई तक मिलने की संभावना है ।

(ख) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन विकास परियोजना 'जीविका' (US $ 63 **मिलियन (250 करोड़ रू0)**

यह परियोजना जून 2007 में स्वीकृत की गई है। इस ऋण पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। मात्र सेवा शुल्क लगना है। यह 5 वर्षीय परियोजना है। यह 6 जिलों (गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, खगड़िया एवं पूर्णियां) के 42 प्रखंडो के 4000 ग्रामों में 5.9 लाख लोगों को आच्छादित करेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का

सशक्तिकरण है। उन्हें आत्मनिर्भर, स्वप्रबंधित समुदाय आधारित संगठनों/स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जायेगा जिसका मुख्य आधार अतिरिक्त बचत होगी।

अभी तक 414 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 116 समूहों को परियोजना द्वारा तथा 51 समूहों को बैंक के माध्यम से वित्त पोषत किया गया है।

(ग) बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना (500 मिलियन यू0 एस0 डॉलर /1950करोड़ रूपये)

यह योजना को अभी रूपांकित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भरता, क्षमता एवं जवाबदेही बढ़ाना है। यह दिसम्बर, 2008 तक तैयार हो जायेगी

2. एशियन डेवलमेंट बैंक :

(क) बिहार सड़क प्रक्षेत्र (US $ 420 मिलियन/1630 करोड़ रूपये)

9 सड़कों (820कि0मी0) के लिये 420 मिलियन US $ का ऋण देने के लिए वार्त्ता अंतिम चरणों में है। इन सड़कों के लिए निविदा निकाली जा रही है। जून, 2008 तक निर्माण–कार्य शुरू होने की सम्भावना है। इस ऋण पर भी LIBOR आधारित सूद 5.7 प्रतिशत की दर से लगेगा। इस ऋण की अदायगी भी 25 वर्षों में होगी और आरम्भ के 5 वर्षों में कोई अदायगी नहीं की जानी होगी ।

(ख) ऊर्जा प्रक्षेत्र US $ 500 मिलियन (1950 करोड़ रूपये)

ऋण के अवयवों पर अभी वार्त्ता चल रही है। इसमें लगभग 250 मिलियन नीतिगत ऋण एवं 250 मिलियन परियोजना में निवेश के लिए होने की संभावना है।

(ग) नगर विकास प्रक्षेत्र US $ 150 million (585 करोड़ रूपये)

अभी इसके अवयवों के संबंध मे वार्त्ता चल रही है। इसका उद्देश्य पटना एवं बोधगया में 'नुर्म' के राज्यांश के लिए तथा इन शहरों में अन्य आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजना के लिए होगा।

3. डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID,UK) :

(क) प्रशासनिक सुधार (US $ 36 मिलियन) अनुदान (140 करोड़ रूपये)

यह पूर्णतः अनुदान होगा। इसके अन्तर्गत आंध्रप्रदेश के आधार पर Centre For Good Governance की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। यह भी वर्ष 2008–09 तक क्रियान्वित करा ली जायेगी।

(ख) शहरी प्रक्षेत्र (100 मिलियन US $) (390 करोड़ रूपये)

इस प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकाय प्रशासन को सुदृढ़

करना है। इसका फोकस राज्य की 14 श्रेणी –1 शहरों के निकायों की क्षमता वृद्धि, उनमें आधारभूत संरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं विभिन्न सेवाओं का सही ढ़ंग से अनुश्रवण करना है। यह आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में शुरू होगी।

(ग) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र (US $ 1000 मिलियन) (390 करोड़ रूपये)

यह परियोजना एक तरह से इस प्रक्षेत्र की बजट–समर्थन परियोजना होगी जिसमें संबंधित तीनों क्षेत्रों–स्वास्थ्य, पोषण एवं पेय जलापूर्त्ति के क्रियाकलापों के लिए है। यह भी अनुदान होगा और संबंधित प्रक्षेत्रों में एक Overall सुधार एवं व्यय योजना के लिए दी जायेगी।

कृषि प्रक्षेत्र

कृषि विभाग

राज्य सरकार ने वर्ष 2008–09 को **'कृषि वर्ष'** के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 17 फरवरी 2008 को राज्य में पहली बार **'किसान पंचायत'** का आयोजन किया गया। दो हजार से ज्यादा किसानों की पंचायत में लगातार 10 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री बैठे रहे और किसानों की समस्या से अवगत हुए । पंचायत के सुझावों के आधार पर कृषि के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है । प्रस्तावित रोड मैप में 2012 तक 4707 करोड़ व्यय का लक्ष्य है।

कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 2007–08 की तुलना में वर्ष 2008–09 के बजट में **43 प्रतिशत** की **वृद्धि** की है ।

वर्ष 2007–08 के निर्धारित उद्व्यय 133.45 करोड़ रूपये में वृद्धि करते हुए वर्ष 2008–09 में 191.34 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

कृषि पर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
59.81	20.43	95.39	133.45	191.34

राज्य के बन्द पड़े सभी 215 कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ । खरीफ में 25 हजार क्विंटल धान बीज का उत्पादन । **बीज निगम** द्वारा कृषकों के माध्यम से 60 हजार क्विंटल धान बीज का उत्पादन ।

- राज्य को खाद और बीज के मामले में आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में एक **बीज ग्राम** और **जैव ग्राम** बनाने का निर्णय ।

  सभी 538 प्रखंडों के चयनित गाँव के किसानों को आधार बीज खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा और उनके द्वारा उत्पादित बीजों को बीज निगम के माध्यम से बेचा जाएगा ।

- दिसम्बर 2007 तक 1 लाख 35 हजार **मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड** (Soil Health Card) का वितरण । प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय। वर्ष 2008–09 में 4 लाख किसानों को कार्ड दिया जाएगा ।
- Farmer's Field School के माध्यम से कृषक तकनीकी प्रसार । एक हजार उपरोक्त स्कूल के स्थापना का लक्ष्य ।
- प्रति पंचायत **कृषि सलाहकार** नियुक्त किया जाएगा ।
- **कृषि यांत्रिकरण** को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुने हुए संयंत्रों पर **50 प्रतिशत अनुदान** की स्वीकृति ।
- **वर्मी कम्पोस्ट** को बढ़ावा देने के लिए 686 बर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्वीकृति ।
- **किसान सम्मान योजना** का क्रियान्वयन। प्रखंड स्तर पर **534 किसान श्री**, जिला स्तर पर **38 किसान भूषण** एवं राज्य स्तर पर **1 किसान रत्न** का चयन ।
- **नया बाग लगाओ** अभियान के माध्यम से 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फलों के नये बगान लगाये गये ।
- कृषि शिक्षा एवं शोध में गुणात्मक परिवर्तन के लिए **कृषि महाविद्यालय, सहरसा** की स्थापना का निर्णय ।
- माप–तौल में व्यवहार में आने वाले बटखरों का भौतिक सत्यापन एक वर्ष के बजाय दो वर्षों में किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक प्रमुख बाजारों में भी शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन

• पशुपालन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है। परन्तु पशुपालन घोटाले के उजागर होने के बाद इस विभाग को पूरी तरह पंगु बना दिया गया। वर्तमान सरकार ने इस विभाग को पुनर्जीवित कर इसे अधिकाधिक उपयोगी बनाने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। इसी का प्रमाण है कि जहाँ वर्ष 2004–05 में 2.92 करोड़ का प्रावधान था वहीं वर्ष 2008–09 में बढ़कर 62.39 करोड़ हो गया है।

• दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2004–05 में राज्य में जहाँ दूध का उत्पादन 2974 हजार मैट्रिक टन तथा अंडा का उत्पादन 7894 लाख था, वर्ष 2006–07 में यह बढ़कर क्रमशः 5450 हजार मैट्रिक टन और 9455 लाख हो गया ।

- **पशु प्रजनन कार्यक्रम**

  शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर आधारित इस राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन

कार्यक्रम के लाभ से बिहार बंचित था। नयी सरकार के गठन के बाद फरवरी 2006 में केन्द्र सरकार से 499.80 लाख रूपया प्राप्त किया जा सका। योजना के दूसरे फेज के लिये 11152.22 लाख रूपये की योजना भारत सरकार को भेजी गयी है।

- वर्षों से बंद 1400 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में से 500 केन्द्र पुनर्जीवित। शेष 901 को चालू करने की योजना ।
- वर्ष 2004–05 में जहाँ मात्र 74 हजार पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया वहीं वर्ष 2006–07 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.30 लाख हो गया है ।
- **मुफ्त दवा वितरण:** पहले पशु चिकित्सालयों में कीमत लेकर दवा दी जाती थी अब 17 प्रकार की दवायें पशु चिकित्सालयों में मुफ्त दी जा रही हैं ।
- **पैथोलोजिकल लेबोरेट्री की स्थापना:** राज्य में पहली बार अनुमंडल स्तर पर 100 पशु चिकित्सालयों में पैथोलोजिकल लेबोरेट्री की स्थापना की जा रही है ।
- **चारा बैंक:** राज्य में पहली बार 10 चारा बैंकों की स्थापना की जा रही है जिसके तहत सूखा चारा के रासायनिक उपचारण द्वारा उनके पौष्टीक गुणों में वृद्धि तथा उनके मशीनी संघनन की क्रिया द्वारा ईंट के रूप में परिवर्तित कर भंडारित करने की व्यवस्था होगी ।
- **बकरी पालन** को बढ़ावा देने तथा इसे लाभ मूलक बनाने के लिये विशेष कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में चलाया जाएगा ।
- पहली बार राज्य में वर्ष 2007–08 में दो बार वर्षा के पूर्व एवं बाढ़ के बाद '**पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा**' मनाया गया जिसमें राज्य की सभी पंचायतों में पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया ।
- वर्ष 2004–05 में जहाँ 14.98 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया वहीं वर्ष 2007–08 में 61.95 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया ।
- पहली बार लगभग सवा सौ पशु चिकित्सकों को बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया गया जिन्होंने तीन माह तक क्षेत्र में रहकर उल्लेखनीय कार्य किया।
- **मुर्गी पालन प्रशिक्षण** : मुर्गी पालक 1,000 किसानों को समूहों में इज्जतनगर, बरेली, भुवनेश्वर एवं पूणे में प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

मत्स्य पालन

मछुआ कल्याण योजना

- कटिहार, सुपौल, रोहतास, छपरा तथा मधुबनी जिलों में मछुआरों के लिये 405

आवास, 20 चापाकल एवं सामुदायिक भवन के निर्माण की योजना कार्यान्वित हो रही है ।

- 50,000 सक्रिय मछुआरों को **सामुहिक जीवन बीमा** योजना का कवरेज प्रदान किया जा रहा है। बीमित सदस्य की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनके आश्रित को 50,000 रूपया एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000/– रूपये की राशि बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । इसका वार्षिक प्रीमियम सरकार वहन करती है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 57,000 मछुआरों के बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है ।

मछुआरों के लिये जनश्री बीमा योजना

- वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत बीस हजार मछुआरों को बीमित करने का लक्ष्य है। बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रूपये तथा सामान्य मृत्यु पर 30,000 रूपये उनके आश्रित को प्राप्त होंगे ।

- राज्य सरकार के शत–प्रतिशत व्यय भार पर राज्य के **1,000 मत्स्य कृषकों** को केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, **काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)** में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। अब तक लगभग साढ़े सात सौ मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है ।
- 121 बन्द पड़े **मछली बीज फार्म** को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पर देने हेतु कार्रवाई मार्च 2008 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।
- राज्य में **मछली पालन को कृषि का दर्जा** प्रदान किया गया है। इससे मछली पालकों को कृषि क्षेत्र के समान सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।
- मत्स्य विभाग में मत्स्य विज्ञान के तकनिकी योग्यताधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2007** प्रख्यापित की गयी है ।
- सम्प्रति राज्य के 25 जिला मत्स्य कार्यालयों को कम्प्यूटर नेट वर्किंग के जरिए राज्य मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है ।
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति सूत्रण के क्रम में मध्यवर्ती राज्यों, यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की एक कार्यशाला पटना में सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला के दौरान आवश्यक विचारोपरांत **बिहार राज्य की मात्स्यिकी नीति प्रारूप** अंतिम रूप में तैयार किया गया है ।
- दरभंगा जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत **फिश मार्केटिंग**

कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा है । साथ ही बेनीपुर एवं विशनपुर में भी फिश मार्केटिंग शेड का निर्माण कराया गया है ।

- सुपौल में मिट्टी एवं जल जाँच प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण भवन का निर्माण कराया जा रहा है ।
- मछली पालन से जुड़े 10 से ज्यादा मत्स्य पालकों को किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत सम्मानित किया गया है ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 जिलों में **तालाबों के सर्वेक्षण** की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- किसानों को तकनीकी सहायता पंचायत एवं गांव स्तर तक देने के उद्देश्य से 10 जिलों में **पारा एक्सटेंशन वर्कर** उपलब्ध कराये जा रहे है ।
- उत्तरी बिहार के जिलों में अवस्थित **36 मनों का विकास** कर पालन मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाया जा रहा है ।
- **अभी तक आन्ध्र से मछलियाँ बिहार आ रही थी। अब बिहार की मछलियाँ बाहर भेजी जा रही है । कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं खगड़िया से मछली पंजाब, हावड़ा एवं सिल्लीगुड़ी जा रही है ।**

डेयरी विकास के कार्य–कलाप

- राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था कम्फेड से सम्बद्ध 5 दुग्ध संघों के माध्यम से लगभग **5.50** लाख लीटर दूध का संग्रहण प्रतिदिन **6200 दुग्ध उत्पादक** सहयोग समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में मांग के अनुरूप औसतन 5.00 लाख लीटर स्वच्छ एवं ताजा दुग्ध उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। इन दुग्ध संघों में से 7750 गाँव सम्बद्ध हैं तथा 3.10 लाख ग्रामीण परिवार इससे जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। 2012 तक 12 लाख लीटर दुग्ध संग्रह का लक्ष्य रखा गया है।
- विगत एक वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को अच्छा दुग्ध क्रय मूल्य देने के उद्देश्य से एवं बाढ़–अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर रखते हुये उन्हें एक वित्तीय वर्ष के अंदर औसतन **तीन रूपये** प्रति किलो दुग्ध क्रय मूल्य में **वृद्धि** दी गयी ।
- नालंदा जिले के **बिहारशरीफ** में 120.92 करोड़ की लागत व्यय पर **4.00 लाख** लीटर प्रतिदिन क्षमता का **डेयरी प्लांट** 30.00 एम0टी0 प्रतिदिन क्षमता का **दुग्ध चूर्ण प्लांट** तथा 1,500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के **टेट्रापैक प्लांट** की स्थापना एन. डी.डी.बी. के माध्यम से कराई जा रही है जो मार्च 2009 तक पूर्ण हो जाएगा ।

- **मुजफ्फरपुर डेयरी** की क्षमता 1.00 लाख लीटर से बढ़ाकर 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन।
- **समस्तीपुर डेयरी** की क्षमता 1.00 लाख लीटर से बढ़ाकर 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन।
- पटना में आधारभूत संरचना विकास हेतु एन.सी.डी.सी. से 26.05 करोड़ रूपये का ऋण एवं अनुदान प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
- **हाजीपुर दुग्ध शीतकरण** केन्द्र की क्षमता 60,000 लीटर से बढ़ाकर 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी प्लांट में परिवर्त्तित किया जा रहा है।
- मुजफ्फरपुर में 10 एम.टी. प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण प्लांट 7.76 करोड़ रूपये की लागत पर स्वीकृत कराई गई है जिसमें दुग्ध संघ का 25 प्रतिशत अंशदान है ।
- आधारभूत संरचना के विकास एवं दुग्ध संग्रहण तथा विपणन की व्यवस्था के सुदृढ़िकरण हेतु पटना, जहानाबाद, आरा, नवादा, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज एवं दरभंगा जिलों में लगभग 7.00 करोड़ की येाजना कार्यान्वित की जा रही है ।
- यू0टी0आई0 के सहयोग से दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के लगभग 40,000 कृषक सदस्यों को माईक्रो पेंशन योजना से संबंद्ध किया गया है ।
- पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन किया जा रहा है ।
- रोहतास जिलान्तर्गत **डेहरी–ओन–सोन** में **1.00 लाख** लीटर प्रतिदिन क्षमता का आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने एवं डेयरी के समग्र विकास की योजना प्रस्तावित है जिसमें अनुमानित 20.00 करोड़ रूपये व्यय होंगे ।

सहकारिता विभाग

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कृषि–विकास के प्रबल पोषक के रूप में सहकारिता विभाग का विशेष योगदान है। परन्तु दुर्योग से पिछले कई दशक से यह विभाग उपेक्षा और दुर्नीति का शिकार रहा, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। इसलिये सरकार ने इस विभाग को पुनर्जीवित करने का संकल्प व्यक्त किया है और इस निमित्त कई कारगर कदम उठाये गये है ।

- **बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई :**

  बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में **"अल्पकालीन सहकारी साख संरचना"** की पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ मार्च 2007 में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हुआ। इससे राज्य में स्थापित पैक्सों के सुदृढ़ीकरण के लिये लगभग 650 करोड़ रूपये का पैकेज

प्राप्त होगा, जिसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी 540.00 करोड़, राज्य सरकार की भागीदारी 70.00 करोड़ एवं सहकारी समितियों की भागीदारी 40.00 करोड़ रूपये की होगी।

- पैक्सों के विशेष **अंकेक्षण** का कार्य मार्च–08 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में सहकारिता अधिनियम में **संशोधन** इसी सत्र में कर लिया जाएगा।

सहकारिता के बढ़ते कदम :

- **फसल बीमा** : फसलों के प्राकृतिक आपदा आदि से हुई हानि की क्षतिपूर्त्ति के लिए खरीफ 2007 में राज्य के 6.27 लाख कृषकों की 1130.94 करोड़ की फसल बीमित। वर्ष 2006–07 में क्षतिपूर्त्ति के रूप में 1,41,807 कृषकों के बीच 74.28 करोड़ का भुगतान।
- पहली बार वित्तीय वर्ष 2007–08 के रब्बी मौसम में चयनित जिलों में पायलट आधार पर **मौसम आधारित फसल बीमा** योजना लागू की गई ।
- पैक्सो को भी गैर ऋणी सदस्यों की फसल बीमा करने की सुविधा ।
- फसल बीमा की **क्षति के आकलन** के लिए प्रखण्ड के बजाए **पंचायत** को इकाई बनाने की कारवाई की जा रही है।
- **अधिप्राप्ति** : किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी समितियों द्वारा अन्न अधिप्राप्ति। वर्ष 2006–07 के खरीफ में 4,840 समितियों द्वारा 1,18,511 टन चावल की अधिप्राप्ति। वित्तीय वर्ष 2007–08 के जनवरी 2008 तक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,330 समितियों द्वारा 95,408 टन धान की अधिप्राप्ति ।
- **उर्वरक एवं बीज बिक्री** : 1,779 समितियों द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2007–08 के दिसम्बर 2007 तक 104.41 करोड़ रूपये का उर्वरक एवं बीज कृषकों को गाँवों में ही उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया।
- **पैक्सों में बचत जमा** : अपनी आर्थिक आत्म निर्भरता एवं सदस्यों में बचत की आदत डालने के लिए पैक्सों में बचत–जमा प्रारंभ। 696 पैक्सो में 93.54 करोड़ रूपये सदस्यों के बचत का जमा। इस जमा से ग्रामीण सदस्यों को 30 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण प्राप्त।
- **ग्रामीण भंडारण क्षमता की वृद्धि** : राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 1909 पैक्सों में 100 एम0टी0 क्षमता के गोदाम निर्मित।
- **सदस्यता वृद्धि अभियान** : अधिक से अधिक कृषक परिवारों को आच्छादित करने

के लिए पैक्सों में चलाया गया सदस्यता वृद्धि अभियान। दिसम्बर 2007 तक 2,22,035 नये सदस्य बने ।

- **चावल मिल की स्थापना** : विभिन्न जिलों के 42 पैक्सों में 1 टन प्रतिघंटा क्षमता के चावल मिल स्थापित ।
- **गैर परंपरागत उर्जा श्रोत का सृजन** : पर्यावरण की रक्षा एवं डीजल बचत के लिए समितियों में बायोमास गैसीफायर स्थापित। धान की भूस्सी से चलने वाले बायोमास गैसीफायर संयंत्र लगुरांव विलंदपुर, (वैशाली) के कोल्ड स्टोरेज, जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, (सीवान) एवं रघुनाथपुर पैक्स, (आरा) में लगाय गये। अन्य चावल मिलों में इसे लगाने की योजना ।
- **पैक्सों में डिपोजिट गांरटी योजना** : पैक्सों में बचत जमा को प्रोत्साहित करने तथा सदस्यों के जमा को सुरक्षित करने के लिए बैंकों की तरह पैक्सों में भी डिपोजिट गारंटी योजना का प्रस्ताव ।
- राज्य के **सभी पंचायतों में पैक्स** गठित एवं **प्रत्येक प्रखण्ड** में **व्यापार** मण्डल का गठन किया जाएगा।
- सभी पैक्स का **चुनाव** एक साथ तथा चुनाव हेतु **स्वतंत्र निकाय** का गठन किया जा रहा है।

बैंक

- किसी भी राज्य के विकास में बैंकों की महती भूमिका है। पूर्व में बैंक बिहार वासियों से धन तो जमा करते थे, परन्तु उस अनुपात में उनका निवेश इस राज्य में नहीं होता था। सरकार ने इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर गम्भीरता पूर्वक उठाया और उसके सकारात्मक असर भी हुये है।
- पूर्व के वर्षों में वार्षिक साख योजना (Annual Credit Plan) में औसतन 1 हजार करोड़ रूपये की प्रति वर्ष वृद्धि होती थी परन्तु वर्ष 2006–07 में 2700 करोड़ अधिक ऋण दिया गया है। वर्ष 2007–08 का लक्ष्य 13,100 करोड़ निर्धारित है। वर्ष 2008–09 के लिए 17,400 करोड़ का लक्ष्य बैंकों को दिया गया है।

वार्षिक साख योजना (राशि करोड़ रूपये में)

2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
4287	5041	6055	8738	10,100 लक्ष्य	17,400 लक्ष्य

- **साखः जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio/ C.D. Ratio)**

  वर्ष 2007 में राज्य के बैंकों में 56,342 करोड़ जमा था जो वर्ष 2006 की

तुलना में 22.12 प्रतिशत ज्यादा है तथा 19,373 करोड़ का ऋण है जो 2006 की तुलना में 29.07 प्रतिशत ज्यादा है। यह अभी तक की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी है।

राज्य का साख जमा अनुपात वर्ष 2002 में 22.79 प्रतिशत था जो 2007 में बढ़कर 34.38 प्रतिशत हो गया।

- **शिक्षा ऋण :**

मार्च' 2007 तक मात्र 6426 मेघावी छात्रों को 178.14 करोड़ का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार के प्रयास से वर्ष 2007–08 में दिसम्बर 2007 तक 8037 छात्रों के बीच 222.53 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।

- **किसान क्रेडिट कार्ड :**

अभी तक राज्य के 24 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है। वर्ष 2007–08 का लक्ष्य 6 लाख तथा 2008–09 का लक्ष्य 10 लाख किसानो को कार्ड देने का है। राज्य के 8 जिलों यथा–गया, रोहतास, समस्तीपुर, खगड़िया, मधुबनी, पश्चिमी चम्पारण, पूर्णिया एवं भागलपुर में अभियान चलाकर शत प्रतिशत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है।

जल संसाधन विभाग

कृषि प्रधान राज्य बिहार की सिंचाई संरचना को दुरूस्त कर उसे अधिकाधिक कृषक हितैषी बनाने के लिये सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना बनायी है।

व्यय के आँकड़े (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
359.94	551.80	566.92	1136.65	1635.79

- वर्ष 2008–09 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 73.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है तथा पुनर्स्थापन द्वारा 32.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित किए जाने का कार्यक्रम है।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से स्वीकृति के लिए लंबित **पुनपुन बराज योजना** (13.92 हजार हे0) एवं **बटेश्वर स्थान पम्प योजना** (25.65 ह0 हे0) की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में प्राप्त की गई। योजनाओं का कार्य प्रगति में है और इन योजनाओं को वर्ष 2009–10 तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।
- **उदेराज बराज** योजना, **मंडई** वीयर योजना, **लोअर किउल** सिंचाई योजना, **दरीयापुर** वीयर, **कोरिहारी** वीयर और **कुण्डघाट** जलाशय योजना का कार्य प्रगति

पर है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल 59.01 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई क्षमता सृजित हो सकेगी।

- **नदियों को जोड़ने** के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में 6 योजनाओं (बागमती बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक परियोजना फेज–2, मोकामा टाल में जल निस्सरण में सुधार, सोन नदी पर अरवल के निकट बराज, सकरी नदी पर बकसोती बराज तथा धनारजे जलाशय योजना) का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इससे बाढ़ एवं जल निस्सरण में सुधार के अतिरिक्त 5.00 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी।
- **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना** को वर्ष 2008–09 में पूरा कर लिया जायगा। इसके पूर्ण होने से मधुबनी, दरभंगा आदि जिलों में 2 लाख 35 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
- आगामी वर्ष 2008–09 में **बागमती सिंचाई परियोजना** का शुभारम्भ किया जायगा जिसे दो चरणों में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2008–09 में **गंडक सिंचाई परियोजना** विस्तार का कार्यक्रम है। इसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। इससे गंडक बेसिन में उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।
- **दुर्गावती जलाशय योजना** हेतु वन–भूमि के प्रयोग के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय की स्वीकृति के पश्चात् इस योजना को 6 से 8 महीने में पूरा कर लिया जायगा।

बाढ़ प्रक्षेत्र : उपलब्धि

- **बाढ़ पूर्वानुमान एवं प्रबंधन प्रणाली** के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से कार्य प्रारम्भ कर प्रथम चरण का कार्य सम्पन्न किया गया। इससे 9 जिलों में बाढ़ के पानी का फैलाव इत्यादि पर पूर्व सूचना देना अब संभव हो चुका है। द्वितीय चरण के कार्य की प्रारम्भ की तैयारी की जा रही है।
- महानन्दा, कारीकोशी, गोगरा एवं गंगा नदी अवस्थित तटबंधों पर 60.20 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण होने की संभावना है।

कार्यक्रम :

- बागमती, महानन्दा एवं चानन नदियों पर 1530 कि0मी0 **नये तटबंध** का निर्माण एवं 513 कि0मी0 तटबंध के उच्चीकरण आदि हेतु 1543.56 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत हुई है।

- विभिन्न नदी बेसिनों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, चानन में 2800 करोड़ की बाढ़ सुरक्षात्मक योजना तैयार की गयी है।
- सिकरहना तथा अधवारा समूह नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु 315 करोड़ रूपये का विस्तृत योजना प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया गया।
- दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया **शहर की सुरक्षा** हेतु योजना तैयार की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य को प्रारम्भ कर आगामी 3 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है।
- राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2006 में लिये गये निर्णय के आलोक में 12 अदद **जमींदारी बांधों** की विभिन्न योजनाएँ जिनकी राशि 1395.29 लाख है, की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं 1200 कि0मी0 से ज्यादा लम्बाई में इसका कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में अन्य जमींदारी बाँधों, जिसकी राशि 316.75 करोड़ रू0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है तथा इनपर कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और योजनाओं को वर्ष 2008–09 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- बाढ़ प्रभावित नदी को बगल की नदी से जोड़कर अतिरिक्त जल स्थानान्तरण हेतु कोहरा–चन्द्रावत लिंक, बूढ़ी गंडक–नोन–बाया–गंगा लिंक, बेलवा धार के माध्यम से बागमती–बूढ़ी गंडक नदी को जोड़, कोशी गंगा–लिंक की योजना का कार्यक्रम है।
- नदियों को **गहरा करने** की योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु समर्पित की गई है।

लघु जल संसाधन विभाग

कृषि प्रधान राज्य बिहार में छोटे काश्तकारों की संख्या अधिक है, जिनके लिये नलकूपों की अधिक सार्थकता है। पिछले दो दशक से राज्य के अधिकांश राजकीय नलकूप बंद हैं, जिन्हें पुनः चालू करने के लिये सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है ।

- **राजकीय नलकूप योजनाः**– वित्तीय वर्ष 2008–09 में 1500 नलकूपों को पूर्ण करने का कार्यक्रम है, जिस पर 6000.00 लाख रूपये खर्च होंगे ।
- **राज्य योजनाः**–
- **सतही एवं आहर/पईन सिंचाई योजनाः**– राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 200 सतही एवं आहर/पईन योजना के निर्माण का कार्यक्रम है, जिसपर 1,715.00 लाख रूपये की राशि व्यय होगी। राज्य के 17 जिले, जहाँ आहर पईन योजनायें अवस्थित हैं, के लिए एक व्यापक पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है ।
- **पुराने राजकीय नलकूपों की पुनर्स्थापन योजनाः**– इस योजना के अंतर्गत वर्ष

2008–09 में 100 राजकीय नलकूपों के पुनर्स्थापन का कार्यक्रम है, जिसपर 1,000.00 लाख रूपया व्यय किया जायेगा ।

- **कृषि क्षेत्र से सीधे जुड़े परम्परागत जलग्रहण क्षेत्रों की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापना की पायलट योजनाः**— इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र से सीधे जुड़े परम्परागत जलग्रहण क्षेत्रों की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की 6 पायलट योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है, जिसपर 240.00 लाख रूपये खर्च होंगे ।
- **सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ योजनाः**— राज्य के सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ योजना (AIBP) के अंतर्गत 2008–09 में 20 योजनाएँ पूर्ण करने का कार्यक्रम है जिनपर 1400.00 लाख रूपये खर्च होंगे।
- **राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप योजनाः**— पूर्व में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित कराये जा रहे मिलियन शैलो नलकूप योजना की नीति में कुछ संशोधन पर विचार किया जा रहा है। संशोधित प्रस्ताव पारित होने के उपरांत इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 1,00,000 निजी नलकूपों को लगाया जायेगा। नाबार्ड एवं बैंको के पास अवशेष उपयोग नहीं किये गये करीब 252.00 करोड़ रूपये अनुदान की राशि का उपयोग इस वर्ष भौतिक उपलब्धियों के लिए किया जायेगा ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- बिहार में **भूदान** में प्राप्त कुल जमीन 6 लाख 48 हजार एकड़ में से 2 लाख एकड़ भूमि का अभी भी वितरण करना बाकी है। राज्य सरकार ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया था जिसकी अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2009 तक शेष भूमि का वितरण कर दिया जाएगा।
- भूमि वितरण में गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलें में **उप समाहर्त्ता** दर्जे का एक अवकाश प्राप्त प्रशासक तथा 101 **अमीन** बहाल करने का निर्णय लिया है ।
- **भूदान कमिटि** का अनुदान 24 लाख से बढ़ाकर 90 लाख रूपया कर दिया गया है।
- राज्य में **दाखिल खारिज** कराने में वर्षों लग जाते थे तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 में शिविर लगाकर दाखिल खारिज कराने का निर्णय लिया।

परिणामतः वर्ष 2002–05 के बीच जहाँ औसतन 4.5 लाख दाखिल खारिज का निष्पादन होता था वहीं नयी सरकार बनने के बाद 2005–06 में ढ़ाई गुणा अर्थात 11.72 लाख तथा 2006–07 में 19.25 लाख मामले निष्पादित हुए ।

दाखिल खारिज

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
3,00,034	4,53,928	4,84,710	11,23,751	18,67,070

- राज्य के 18 जिलों में बन्दोबस्ती एवं **सर्वेक्षण** का कार्य चल रहा है। इनमें दरभंगा, सहरसा, भोजपुर, भागलपुर एवं गया बन्दोबस्त कार्यालय में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है और 30 जून, 2008 तक इन कार्यालयों से सम्बन्धित जिलों के खतियान का अन्तिम प्रकाशन करते हुए **मानचित्रों** को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
- भोजपुर, रोहतास, कैमूर एवं बक्सर जिले के सभी राजस्व ग्रामों के सर्वे मान चित्रों का Digitisation कार्य वर्ष 2008–09 में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ 58 लाख का प्रावधान।
- जोतों के समेकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 5 जिलों– बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर एवं गोपालगंज जिलों के 8 अंचल के 1,047 गावों में सघन **चकबन्दी** का कार्य प्रारम्भ किया गया हैं साथ ही इन 5 जिलों को पूर्ण रूप से आच्छादित करने की योजना है। इसके लिए 7 करोड़ 70 लाख का प्रावधान।
- **भू–संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम** की एक 5 वर्षीय विस्तृत परियोजना 409 करोड़ 76 लाख रूपये लागत की तैयार कर केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। केन्द्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा के बगैर राज्य ने अपनी निधि से कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य से अंचल स्तर तक कम्प्यूटर केन्द्र, डाटा केन्द्र की स्थापना, सर्वे मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, भू–अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, राजस्व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

सड़क प्रक्षेत्र

पथ निर्माण विभाग

राज्य की आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान रखता है। राज्य की सड़कें उसमें प्रमुख हैं। शरीर में रक्त प्रवाहित करने वाली धमनियों का जो महत्व है, वही महत्व किसी राज्य में सड़कों का है। इसलिये हमारी सरकार ने विगत दो वर्षों में राज्य के सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग मुख्य रूप से सड़क निर्माण कार्य करता है। वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ कर वर्ष 2008–09 तक में ये दोनों विभाग लगभग 8 हजार

करोड़ से ज्यादा व्यय कर चुके होगे। राज्य के सड़क निर्माण के क्षेत्र में आज तक का यह सबसे बड़ा अभियान है।

वर्ष 2004–05 में पथ प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि रूपये 268.47 करोड़ के विरूद्ध 42.77 प्रतिशत राशि व्यय की गयी जबकि वर्ष 2006–07 में उपबंधित राशि 710.99 करोड़ के विरूद्ध 94.18 प्रतिशत एवं वर्ष 2007–08 में उपबंधित राशि रूपये 2350.97 करोड़ के विरूद्ध जनवरी 2008 तक 70.36 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। वर्ष 2008–09 में 1899.46 करोड़ का प्रावधान। यानि केवल 3 वर्ष में पथ निर्माण विभाग सड़क, पुल–पुलियों पर 4981.34 करोड़ खर्च कर रहा है।

व्यय के आकड़े (राशि करोड़ रूपये में)

2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
159.43	280.37	202.03	366.45	543.49	2072.03	2350.97	1899.46

राष्ट्रीय उच्च पथ :–

राज्य के 3269 कि0 मी0 राष्ट्रीय उच्च पथों के अधिकांश हिस्से की स्थिति अत्यंत **जर्जर** थी। इन सड़कों के रख–रखाव के लिए निधि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार से योजनाओं की स्वीकृति एवं निधि मिलने में विलम्ब हुआ तो राज्य सरकार ने गत वर्ष **अपनी निधि** से 308 करोड़ रूपये एवं इस वर्ष 84 करोड़ रूपये अर्थात कुल 392 करोड़ रूपये की स्वीकृति देकर इन पर काम प्रारम्भ किया गया।

अबतक 785 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 570 कि0मी0 में मार्ग विभिन्न चरणों में प्रगति में है। अभी कुल 261 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

राज्य उच्च पथ :–

- राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 3,000 करोड़ रूपये की लागत से 2035 कि0 मी0 राज्य उच्च पथों का कार्य केन्द्रीय एजेन्सी– CPWD एवं IRCON के माध्यम से कार्य प्रारंभ कराया गया है। ये कार्य जून 2009 तक पूर्ण हो सकेंगे।
- वर्ष 2006 में नवघोषित 1054 कि0मी0 राज्य पथों को 2 लेन सड़क में उन्नयनित करने हेतु Asian Development Bank से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। 1,655 करो़ड़ रूपये की लागत से 820 कि0मी0 राज्य उच्च पथ के उन्नयन हेतु निविदा की कार्रवाई की गयी है।
- 12 अन्य सड़कों (723 कि0मी0 लम्बाई) को राज्य उच्च पथ के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। इन्हें भी IADB ऋण से 2–लेन बनाया जायेगा।

वृहद जिला सड़कें :–

- जिला सड़कों को इण्टरमीडियट लेन (5.50 मीटर) के रूप में उन्नयनित करने का

निर्णय लिया गया है।

इस कार्य के लिए राज्य योजना, नाबार्ड ऋण एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में कुल 4500 कि0मी0 एवं वर्ष 2007–08 में अबतक 900 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्ष 2006–07 में एवं वर्ष 2007–08 में अबतक कुल 724 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष अंशों में विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है।

पुल प्रक्षेत्र

- **मुख्य मंत्री सेतु निर्माण** योजना के तहत 1700 करोड़ रूपए की लागत की 1844 योजनाओं का कार्यान्वयन। वर्ष 2008–09 में 400 करोड़ रूपये का उपबंध।
- **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम** के 17 करोड़ रूपये के घाटे को दूर कर फिर से निर्माण कार्य में अग्रसर।
- विगत दो वर्षों में 210 करोड़ रूपए की लागत से **54 बड़े पुलों** का **लोकार्पण**। वर्षों से लम्बित निम्न पुलों को पूर्ण किया गया :–

  (क) कटौंझा (मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी), (ख) आरा स्थित रेलवे उपरी पुल (ग) भागलपुर स्थित रेल उपरी पुल (घ) अररिया स्थित बकरा पुल
- **अरवल** एवं **सहार** के बीच **सोन नदी** पर लगभग **99** करोड़ रूपये की लागत एवं समस्तीपुर जिला अन्तर्गत **करेह नदी** पर **लरझा घाट** के निकट **29** करोड़ रू0 की लागत से पुल निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- इसके अतिरिक्त डुब्बा घाट (सीतामढ़ी जिला), झौआ एवं लामा, (कटिहार जिला), चिरैयाटांड़ पुल फेज II एवं फेज III (पटना) जून 2008 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण–पथों पर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2006–07 एवं 2007–08	2008–09
व्यय शून्य	2372.29	1168.33

वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08

- वित्तीय वर्ष **2004–05** में पथ निर्माण मद में व्यय **शून्य** था।
- वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में विभाग द्वारा विभिन्न योजना शीर्ष के तहत कुल 2102 करोड़ राशि के लिए 1811 योजनाएं (लम्बाई 6764 कि0मी0) स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2007 तक 769.64 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 1820 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

- गैर योजना के तहत् कुल 270.00 करोड़ रू0 बजट का प्रावधान, जिसके विरूद्ध 3200 कि0मी0 पथ एवं 850 पुल/पुलियों को संधारण करने का लक्ष्य है। माह दिसम्बर 2007 तक 153 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 1247 कि0मी0 पथ एवं 550 पुल/पुलियों का संधारण कार्य किया गया है ।
- केन्द्र प्रायोजित योजना, यथा–**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,** अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 63.89 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 546.36 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2008–09

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा विभिन्न योजना शीर्ष के तहत् 1168.33 करोड़ राशि अनुमानित है, जिसमें 2682.50 कि0मी0 पथों का चयन कर निर्माण/उन्नयन कार्य किये जाने का लक्ष्य है ।
- गैर योजना मद के लिए वित्तीय लक्ष्य 210 करोड़ एवं भौतिक लक्ष्य 3,000 कि0मी0 पथ एवं 450 पुल/पुलियों का संधारण कार्य किये जाने का लक्ष्य है ।
- केन्द्र प्रायोजित योजना, यथा–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (भारत निर्माण योजना) के तहत वित्तीय लक्ष्य 5830 करोड़ एवं भौतिक लक्ष्य 14,425 कि0मी0 अनुमानित है।

आपकी सरकार आपके द्वार

- ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उग्रवाद प्रभावित पंचायतों/क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सड़क सम्पर्कता प्रदान करना एवं पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना है ।
- इस कार्यक्रम के तहत 7 जिलों–गया, रोहतास, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुंगेर तथा पटना के 24 प्रखंडों के 67 पंचायतों का चयन किया गया है जिसमें 236.88 करोड़ रू0 की लागत से 637.5 कि0मी0 पथ एवं 67 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिसम्बर 2007 तक कुल 361.94 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 741 पथों, जिनकी कुल लम्बाई 1704.26 कि0मी0 है, का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।
- तृतीय एवं आगे के चरणों का कार्य नामित **केन्द्रीय एजेंसियों**, यथा NBCC, NPCC, NHPC, CPWD, IRCON के माध्यम से कराया जा रहा है ।

- केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा दिसम्बर 2007 तक कुल 831.09 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 174 पथों, जिनकी लम्बाई 1509.04 कि0मी0 है, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण के स्वीकृत अधिकांश पथ सीमित राशि के कारण पूरी लम्बाई में नहीं लिये जा सके थे। पूर्ण सम्पर्कता प्रदान करने हेतु Missing Links के 162 पथों, जिनकी लम्बाई 620.169 कि0मी0 है तथा प्राक्कलित राशि 267.659 करोड़ रूपये है, के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है ।
- **केन्द्रीय एजेन्सियों की धीमी प्रगति को देखते हुए आगे का कार्य विभाग के माध्यम से ही कराने का निर्णय लिया गया है।**
- **विश्व बैंक** योजनान्तर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु दो चरणों में 900 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से चयनित 12 जिलों में लगभग 4000 कि0मी0 की लम्बाई में पथ–निर्माण का लक्ष्य है।
- प्रथम चरण में परामर्शियों के द्वारा 907.4 कि0मी0 की लम्बाई में पथों का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है जिसे अग्रेतर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा चुका है। द्वितीय चरण में 2500 कि0मी0 की लम्बाई में परामर्शियों द्वारा डी0पी0आर0 निर्माण कार्य प्रगति में है ।

नई पहल

- निविदा प्राप्ति के लिए Standard Bidding Document पर दो Bid प्रणाली लागू।
- आधुनिक निर्माण यंत्र–संयंत्र की कमी दूर करने हेतु **यंत्र–संयंत्र** बैंक (Equipment Bank) की स्थापना।
- **संवेदक पंजीकरण** की प्रक्रिया का **सरलीकरण**। पथ निर्माण विभाग में 770 संवेदकों का पंजीकरण।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु **थर्ड पार्टी गुण नियत्रंण** परामर्शी की नियुक्ति।
- सड़क निर्माण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु GIS **प्रबन्धन प्रणाली** एवं आन लाईन अनुश्रवण की व्यवस्था।
- निर्मित पथों के अनुरक्षण हेतु विभाग के द्वारा Maintenance Policy तैयार की जा रही है, ताकि पथों का रख रखाव एवं स्थिति सुनिश्चित किया जा सके तथा पथों का उपयोग दीर्घकाल तक किया जा सके ।
- पारदर्शिता एवं निविदा प्रक्रिया में समय की बचत करने हेतु e-tendering की भी व्यवस्था की जा रही है।

बेरोजगार अभियन्ताओं के लिए पहल

- श्रेणी–III के ठेकेदार में निबन्धन का प्रावधान। 20 लाख रूपये तक का काम सुरक्षित।
- गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का कम से कम 15 प्रतिशत सुरक्षित।
- मात्र एक प्रतिशत अग्रधन की राशि, सीमित निविदा द्वारा चयन।

उर्जा विभाग

उर्जा (Electricity) के बिना किसी भी राज्य के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। परन्तु इसे बिहार का दुर्भाग्य कहा जाय कि राज्य का अपना बिजली उत्पादन शून्य था। कॉटी कारखाने वर्षों से बन्द था एवं बरौनी रूग्णावस्था में था। राज्य पूरी तरह केन्द्रीय प्रक्षेत्र पर बिजली के लिए निर्भर हैं ।

- नई सरकार ने **बन्द कारखानों** को **खोलने** की पहल की । जनवरी–2008 से इन दोनों बन्द कारखानों में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया। **कॉटी** से 50–70 मेगावट तथा **बरौनी** से 40–60 मेगावाट का प्रारम्भिक **उत्पादन शुरू**।
- राज्य की बिजली की शीर्ष माँग 1842 मेगावाट ,अन्य समय में औसत माँग 1271 मेगावाट तथा पिछले तीन माह में औसत केन्द्रीय उपलब्धता 680–750 मेगावाट रही।
- इस 680–750 औसत उपलब्धता में भी 260–350 मेगावाट अनिवार्य माँग के तहत रेलवे–90, नेपाल–50, रक्षा संस्थान एवं लगातार चलनेवाले उद्योग के लिए 70 तथा ग्रिड एवं पावर स्टेशन के लिए 50 मेगावाट देने की बाध्यता है ।

  परिणामतः राज्य को अपने नागरिकों के लिए मात्र 450–550 मेगावाट ही उपलब्ध हो पाता है।
- राज्य के इस बिजली संकट के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने जनवरी, 2008 में एक **सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल** के साथ दिल्ली जाकर केन्द्रीय उर्जा मंत्री से मिलकर केन्द्रीय प्रक्षेत्र में बिहार का कोटा बढ़ाने की माँग की ।
- बिजली संकट की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड ने 200 मे.वा. बिजली **खुले बाजार से उंचे दाम पर** भी खरीदने के लिए पहली बार खुली निविदा आमंत्रित की है ।
- **निजी क्षेत्र** को भी बिजली कारखाना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ।

  परिणामतः जे.ए.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर ने **बांका** में 1215 मे.वा का कारखाना लगाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। इसके अलावा 4 अन्य कम्पनियों ने भी 3200 मे.वा. लगाने का प्रस्ताव दिया है ।

- **तिलैया** (झारखंड) में स्थापित होने वाले **4 हजार मे.वा.** के मेगा पावर प्रोजेक्ट में भी बिहार ने 5 करोड़ जमा कर 500 मे.वा. का हिस्सा लिया है ।
- एन0 टी0 पी0 सी0, बिजली बोर्ड और बिहार सरकार के बीच **नबीनगर, (औरंगाबाद)** में 1980 मेगावाट के ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाए जाने का समझौता हस्ताक्षरित। परियोजना के डी0 पी0 आर0 का कार्य प्रारम्भ ।
- **मुजफ्फरपुर** एवं **बरौनी** में 500–500 मेगावाट की क्षमता विस्तार की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- 250 फीडरों में **फ्रेंचाइजी** की नियुक्ति की गई ।
- बिहार राज्य विद्युत पर्षद की राजस्व **वसूली** प्रत्येक माह 85 करोड़ रूपए से बढ़ कर एक सौ करोड़ रूपए।
- अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत के विकास के अन्तर्गत 126 मेगावाट क्षमता की **डागमरा जल विद्युत परियोजना** के डी0 पी0 आर0 तैयार कराने का कार्य WAPCOS कम्पनी को दिया गया है। वितीय वर्ष 2008–09 में कार्य प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।
- **अगनूर**, **ढ़ेलाबाग** एवं **नासरीगंज** में 1000–1000 कि0वा0 क्षमता की तीन लघु जल विद्युत परियोजनाऐं पूर्ण ।
- कुल 1240.86 करोड़ रूपए की **उप संचरण प्रणाली** फेज– II भाग– II की योजना के कार्यान्वयन हेतु पावर ग्रिड, बी0 एस0 ई0 बी0, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के बीच समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षरित।
- NTPC को सितम्बर 2001 तक का **लम्बित** बकाया 427.74 करोड़ भी वर्तमान सरकार ने भुगतान किया। NTPC को नियमित भुगतान के कारण वर्ष 2006–07 में 115.89 करोड़ तथा दिसम्बर 07 तक 28.61 करोड़, कुल 144.50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त हुई । राज्य सरकार द्वारा रिसोर्स गैप के तहत 1077.50 करोड़ रूपए की राशि सीधे एन0 टी0 पी0 सी0 को भुगतान किया गया है ।
- राज्य सरकार बिजली बोर्ड के घाटे को कम करने के लिये **रिसोर्स–गैप** के रूप में 34 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ रूपया प्रति माह भुगतान बोर्ड को कर रही है ।

औधोगिक विकास

- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) के समक्ष कुल 245 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिनमें से अब तक कुल 115 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है जिसमें सन्निहित राशि

40,725.67 करोड़ रुपये तथा वृहत एवं मध्यम क्षेत्र में जनवरी 2008 तक कुल 530.72 करोड़ राशि का निवेश हुआ है।

- औद्योगिकरण के लिए जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से लघु/टाईनी एवं शिल्पीकृत 4176 इकाईयों का निबंधन किया गया हैं जिसमें दिसंबर 2007 तक 8636.49 लाख रुपये का पूँजीनिवेश तथा 12793 लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ है।
- **अर्बन हॉट** : राज्य के शिल्प से जुड़े शिल्पियों, बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु विपणन की व्यवस्था के लिए स्थायी अर्बन हॉट की स्थापना पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना में की जाएगी। इसके लिए 1.25 एकड़ भूमि को चिह्न्ति कर लिया गया है।
- **टेक्सटाईल पार्क** : कहलगाँव (भागलपुर) में 120 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु विक्रमशीला टेक्सटाईल पार्क लि0 के नाम से एक कम्पनी का गठन। 150 एकड़ भूमि का चयन। लगभग 40,000 लोगों को नियोजन की संभावना है। वर्ष 2007–08 में 600.00 लाख राशि स्वीकृत ।

बुनकरों के लिये

- **हैण्डलूम पार्क** : (कहलगाँव) भागलपुर में 24.50 करोड़ रुपये की लागत से हैण्डलूम पार्क की स्थापना हेतु मेसर्स अंग प्रदेश हैण्डलूम पार्क प्राईवेट लि0 के नाम से कम्पनी स्थापित तथा 25 एकड़ भूमि का चयन। इस पार्क के अन्तर्गत बुनकरों को आवश्यक आधारभूत संरचना तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। लगभग 5000 लोगों का नियोजन संभावित। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 6 करोड़ स्वीकृत।
- राज्य के सात बुनकर बाहुल्य जिलों, यथा–भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी, सीवान एवं नालन्दा जिले के बुनकर कलस्टरों के समेकित विकास हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए IL & FS को परियोजना विकास कार्यान्वयन एवं प्रबंधन एजेंसी नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 505.00 लाख रुपये स्वीकृत।
- बुनकरों को विपनण सहायता अंतर्गत **साईकिल आपूर्ति** योजना के तहत बुनकरों को 1000.00 रुपये की राशि साईकिल खरीदने हेतु प्रदान की जाती है। इसे बढ़ाकर **2 हजार रूपये** किया जा रहा है ।
- राज्य के **जूट उत्पादक** जिलों में जूट से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए डायग्नोस्टिक सर्वे आई0 एल0 एण्ड एफ0 एस0 से कराया गया है।
- वर्ष 2007–08 में हस्तकरघा प्रक्षेत्र के लिए 16.06 करोड़ तथा 2008–09 में 28.25 करोड़ प्रस्तावित ।

- वित्तीय वर्ष 2007–08 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 प्रावधान के अनुरूप विद्युतकरघा इकाईयां में **डीजल जेनरेटिंग सेट** की स्थापना पर कुल लागत का 50 प्रतिशत तक राशि **अनुदान** के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- विद्युत करघा में बिजली खपत पर 1.50 रू0 / यूनिट **विद्युत अनुदान** दिया जा रहा है।
- **सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी :**

राज्य में प्लास्टिक उद्योग की संभावना को देखते हुए **सेंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी** की स्थापना हाजीपुर में की गयी है।

राज्य में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ कर अधिक–से–अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित करने हेतु हाजीपुर स्थित CIPET के अतिरिक्त भागलपुर, पूर्णियां, गया एवं मशरख (सारण) में वित्तीय वर्ष 2006–07 से CIPET द्वारा प्रशिक्षण आंरभ करने हेतु शाखा खोला गया हैं।

- **कलस्टर की योजना :**

राज्य में कुटीर उद्योग के विकास हेतु भारत सरकार के कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ब्रास एवं बेल मेटल, परेब में मखाना कलस्टर दरभंगा, फुट वियर एवं GLS लैम्प पटना सिटी के विकास हेतु राज्यांश के रूप में 200.00 लाख रुपये तथा बन्दूक कलस्टर हेतु मुंगेर के लिए 50 लाख स्वीकृत ।

- **खाद्य एवं प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाः**

इस प्रक्षेत्र में वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार में दो फूड पार्क / इन्टीग्रेटेड फूड जोन / राइस कलस्टर / एग्री रूल बिजनेस सेंटर आदि की स्थापना पी.पी.पी. मोड में किया जाना है। इसके लिये वर्ष 2008–09 में 18 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

- **औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण :**

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण / औद्योगिक पार्क / ग्रोथ सेंटर के आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 40.00 (चालीस) करोड़ एवं नये अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु रुपये 25.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

- **लैंड बैंक :**

राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए भूमि अर्जन एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहटा (पटना) एवं हाजीपुर में मेगा इन्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना करने हेतु एक–एक

हजार एकड़ भूमि अर्जन के पश्चात् भूमि का विकास कर उद्यमियों को भू–खण्ड आवंटित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजनान्तर्गत 11959.00 लाख रुपये स्वीकृत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना हेतु 8977.00 लाख रुपये प्रस्तावित है।

- **नेशनल इन्स्टीट्युट ऑफ फर्मास्यूटीकल एडुकेशन एण्ड रिसर्च (NIPER) की स्थापना हेतु भूमि तथा भवन मरम्मति :**

  नेशनल इन्स्टीट्युट ऑफ फर्मास्यूटीकल एडुकेशन एण्ड रिर्सच (NIPER) हाजीपुर में प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए **12 एकड़ भूमि** एवं परिसर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

- पटना में **टूल रूम** तथा बिहार शरीफ, भागलपुर एवं छपरा में **मिनी टूल रूम** स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2008–09 में मिनी टूल रूम हेतु 9.5 करोड़ तथा टूल रूम हेतु 1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- **नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी : (NIFT)**

  नेशलन इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की कक्षाएं जून 2008 से प्रारम्भ होगी। मीठापुर (पटना) में 5 एकड़ भूमि दी गयी है। भवन बनने तक अस्थायी तौर पर उद्योग भवन में 15 हजार वर्गफीट स्थान पर कक्षाएं चलेगी। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में 26 करोड़ का उपबंध किया गया है ।

- राज्य सरकार ''**स्टेट परचेज पॉलिसी**'' में भी आवश्यक संशोधन करेगी ताकि स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता मिल सके।

- विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन द्वितीय एवं तृतीय तल का आधुनिकीकरण एवं साज–सज्जा कर उसे एक अत्यंत आधुनिक भवन में परिवर्तित किया गया है। वर्ष 2007–08 में इस पर 2.45 करोड़ का व्यय किया जाएगा।

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार चीनी उधोग के लिये महत्त्वपूर्ण प्रक्षेत्र है। देश की **पहली चीनी मिल** बिहार में ही लगी। परन्तु प्रकारान्तर से बिहार में यह उद्योग मृत प्राय हो गया। सरकार इसके पुनरूद्धार के प्रति कटिबद्ध है और इसके लिये कई कदम उठाये भी गये हैं।

- सरकार द्वारा चीनी प्रोत्साहन पैकेज, 2006 की घोषणा की गई जिसके कारण 5376.43 करोड़ निवेश के 22 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से गुरबलिया, अंचल–चनपटिया, (पश्चिम चम्पारण) में मौर्या सुगर्स द्वारा

प्रस्तावित चीनी मिल काम्पलेक्स एवं सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा में पुरानी चीनी मिल (सह विद्युत उत्पादन इकाई) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **नई चीनी मिलों** की स्थापना से गन्ने की पेराई क्षमता में 1,13,500 टी0सी0डी0, 481 मेगावाट को जेनरेशन एवं 1259 KPL डिस्टीलरी कार्यान्वित होने की सम्भावना हैं।
- राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के जिम्में **किसानों के ईख मूल्य की बकाया** राशि 8.84 करोड़ रू0 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा किसानों को उनके बकाये ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।
- गन्ना कृषकों को चीनी मिल द्वारा पेराई वर्ष 2006–07 के लिए कुल देय ईख मूल्य 575.38 करोड़ लाख रूपये के विरूद्ध दिनांक 31.12.2007 तक 498.96 करोड़ लाख रूपया का भुगतान दिया गया है। शेष राशि 76.42 करोड़ रूपया का भुगतान जारी है। **किसानों को ईख मूल्य का भुगतान** सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **43.00 करोड़** रू0 **अनुदान** स्वीकृत किया गया है, जिसको जिला पदाधिकारियों के माध्यम से किसानों के बीच वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है।
- गन्ने की फसल को **फसल बीमा** योजनान्तर्गत सम्मिलित कराया गया है। हाल में बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को हुयी क्षति के लिए सी0आर0एफ0 प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित **किसानों को क्षतिपूर्त्ति** दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
- चीनी मिलों के आग्रह पर 163.10 कि0मी0 **ग्रामीण पथ** का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है एवं 53.72 कि0मी0 पथ मरम्मति का कार्य प्रगति पर है। 328.21 कि0मी0 सड़क पथ निर्माण विभाग द्वारा गन्ना क्षेत्र के अन्तर्गत मरम्मती हेतु लिया गया है ।
- किसानों को गन्ना की समस्याओं से निदान दिलाने हेतु ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा में **निःशुल्क कॉल सेन्टर** की स्थापना हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को राशि उपलब्ध करा दिया गया है।

बंद पड़ी चीनी मिलें

सरकार ने बिहार राज्य चीनी निगम की बंद मिलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी संस्था **''एस0बी0आई0कैप्स''** को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया था।

- कैप्स द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में सरकार ने **लौरिया** चीनी मील (डिस्टीलरी सहित) तथा **सुगौली** मील **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 (एच0पी0सी0एल0)** को, **मोतीपुर** मील **रिलांयस इंडस्ट्रीज** लि0 को, **लोहट** मील **मेसर्स रालकन** प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 को एवं **रैयाम** मिल मेसर्स **एस0 एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स**

प्रा0 लि0 को लम्बी अवधि की लीज पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

- निगम की शेष 10 इकाइयों के लिये **री–बिड** आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

कार्यरत चीनी मिलों द्वारा क्षमता विस्तार :

- **हरि नगर चीनी** मिल ने 8500 से पेराई क्षमता बढ़ाकर 10 हजार टी0 सी0 डी0 कर लिया है। साथ ही 45 करोड़ की लागत से 45 KPL क्षमता की डिस्टीलरी का कार्य इस वर्ष पूरा होने की सम्भावना है।
- न्यू स्वदेशी सूगर मिल, **नरकटियागंज** एवं भारत सुगर मिल्स **सिधवालिया** द्वारा भी क्रमशः 7500 एवं 5 हजार टी0सी0डी0 का क्षमता विस्तार किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों इकाईयों द्वारा सह विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है।
- नरकटियागंज मिल द्वारा डिस्टीलरी के 30 KLPD से 60 KLPD क्षमता का विस्तार कर लिया गया है तथा नरकटियागंज एवं रीगा मिल द्वारा **45 KLPD इथेनाल का उत्पादन** प्रारम्भ कर दिया गया है।
- मझौलिया, सासामुसा, हसनपुर एवं गोपालगंज चीनी मिलों का **क्षमता–विस्तार** प्रगति पर है। इसके कारण 462.72 करोड़ रूपये का निवेश होगा।

कौशल विकास

आज का युग **कौशल विकास (Skill Development)** का है। हुनर विहिन व्यक्ति की गणना आज के जमाने में "पढ़ा–लिखा अशिक्षित" के रूप में होती है । इसलिये सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में हुनर विकास को विशेष महत्व दिया है और इसी कड़ी में राज्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को पुनर्गठित एवं समुन्नत तथा प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है ।

- राज्य के 29 सामान्य एवं महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षों से अनेक अनुपयोगी ट्रेड संचालित किए जा रहे थे जिनकी रोजगार के बाजार में कोई माँग नहीं थी। परिणामतः इन संस्थानों के अधिकांश सीट खाली रह जाते थे। इन संस्थानों के 7,100 सीट में जहाँ 2005 में 2234 नामांकन हुये वहीं 2006 में 3899 और 2007 में 3925.
- सत्र 2008 में सभी **7100 नामाकंन** के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनुपयोगी ट्रेड हटाकर उद्योगों की माँग के अनुरूप ट्रेड संचालित किए जाएंगे।
- वर्ष 2005 तक राज्य में **निजी क्षेत्र** में मात्र 46 औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे थे। पिछले वर्ष 12 नये केन्द्र प्रारम्भ हुये और सत्र 2008–09 के लिये 50 नये केन्द्रों को खोलने एवं 15 पुराने केन्द्रों में यूनिट बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी है जिसमें **5947** अतिरिक्त युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के 29 संस्थानों में 7,100 और निजी क्षेत्र के 108 केन्द्रों के माध्यम से 11,000 युवक/युवतियों को **(कुल 18,100)** अगले सत्र से नियमित संस्थानों में **प्रशिक्षण** दिया जा सकेगा।

- इसके अतिरिक्त पिछले माह 139 निवेशकों को और औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है।
- **अनुदेशकों की बहाली** :– अबतक अनुबंध के आधार पर नियमित रूप से 192 अनुदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है, 142 अनुदेशकों की बहाली प्रक्रियाधीन है।
- वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार ने कल्याण बिगहा (नालन्दा), बिस्फी (मधुबनी), भभुआ (कैमूर), जमुई, सहरसा एवं पूर्णिया में कुल 6 नए औ0 प्र0 संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है।
- **विश्व बैंक** की सहायता से राज्य के 6 संस्थानों–मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, मोतिहारी, कटिहार का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रति संस्थान **3 करोड़ 50 लाख** रूपये खर्च किये जाएंगे।
- राज्य के **6** अन्य संस्थान–हाजीपुर, मुंगेर, डिहरी, महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा तथा बेगुसराय को **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप** के आधार पर संचालित किया जाएगा। इन संस्थानों को **2.5 करोड़** प्रति संस्थान भारत सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- **लार्सन एण्ड ट्यूबो** कम्पनी के सहयोग से बी0 पी0 एल0 परिवार के 300 युवक, प्रतिमाह कुल 3600 युवकों, को कन्सट्रक्शन का नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर 5 हजार व्यय वहन किया जाएगा।

  प्रशिक्षण के पश्चात् सभी प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन L & T अपने अधीन कार्यरत संवेदको के यहाँ करेगी।
- प्रत्येक व्यवसाय में राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को **सम्मानित** करने की परम्परा शुरू की गई है। वर्ष 2007 में 87 छात्रों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में राज्य के सभी संस्थानों से प्रत्येक व्यवसाय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का कौशल प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित करने की योजना है। इस पुरस्कार योजना का नामकरण **''विश्वकर्मा व्यावसायिक कौशल पुरस्कार''** के रूप में प्रस्तावित है।
- विगत 15 वर्षों में **41** हजार मूल **प्रमाण पत्र लम्बित** थे जिसके कारण छात्रों को

नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इस वर्ष अभियान चलाकर 31 हजार प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राचार्यों को दिया जा चुका है। शेष 11 हजार लम्बित प्रमाण पत्र वर्ष 2008 में उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

- ग्रामीण क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकता (मोटर पम्प, विद्युत कार्य, चापाकल, कृषि संयत्र की मरम्मत निर्माण कार्य आदि) की पूर्ति ग्राम स्तर पर करने के लिए **ग्रामीण इन्जिनियर** के नाम से कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पंचायत से बी0 पी0 एल0 परिवार के 3 युवक/युवतियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 1 मई, 2007 से राज्य के बेरोजगारों को **ऑन लाइन निबन्धन** की सुविधा दी गई है।
- राज्य के सभी **नियोजनालयों का कम्प्यूटरीकरण** कर सभी निबन्धित युवकों के बायो डाटा को Digitise कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि दुनिया भर के नियोजक स्वयं चयन कर सकेंगे।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत कैरियर/**नियोजन मार्गदर्शन मेला** आयोजित किया गया, जिसमें करीब 5 हजार युवकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया गया।
- देश की बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ प्रशिक्षित छात्रों को Campus Selection द्वारा रोजगार प्रदान कर रही है। वर्ष 2007–08 में **रिलायन्स कम्युनिकेशन लि0**, **प्लासटिक इण्डिया लि0** अहमदाबाद, **सुजलोन इनर्जी**, दमन जैसी नामी–गिरामी कम्पनियों ने नियोजन मेला लगाकर 762 छात्रों का चयन किया जिसमें 270 को नियुक्त किया जा चुका है।
- विदेशों में नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से Overseas Employment Bureau की स्थापना की जाएगी।
- विदेशों में नियोजन पाने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व 10 हजार व्यक्तियों को कौशल विकास एवं विदेशी वातावरण से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने की योजना हैं।

श्रम संसाधन विभाग

राज्य के श्रमिकों का कल्याण और उनके अधिकार की रक्षा सरकार का दायित्व है। श्रम संसाधन विभाग उसी परिपेक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और इस निमित्त विभिन्न कार्यक्रमों का संयोजन और क्रियान्वयन भी करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार

ने "**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**" लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना प्रथम चरण में राज्य के आठ जिलों–पटना, पूर्णियां, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया एवं नालंदा में लागू की जायेगी। वर्ष 20012–13 तक राज्य के शेष जिलों में चरणबद्ध तरीके से यह योजना लागू की जायेगी ।

- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक परिवार एक वर्ष में 30 हजार तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकेगा ।
- साथ ही एक हजार रूपये परिवहन व्यय हेतु तथा पहचान हेतु स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों की कल्याण योजना :

भवन निर्माण एवं **अन्य निर्माण** कार्य में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिये शुरू की जानेवाली इस योजना के कार्यान्वयन के लिये निर्माण कार्य में लगी एजेन्सियों से **उपकर** के रूप में लागत की **1 प्रतिशत** राशि वसूल की जायेगी, जिससे श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता, दाह संस्कार के लिये आर्थिक सहायता आदि दी जायेगी।

आम आदमी बीमा योजना :

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी भूमिहीन बीमित व्यक्ति की जीवित अवस्था में उनके दो बच्चों को प्रति बच्चा 100 रूपये प्रतिमाह शिक्षा वृत्ति दी जायेगी। बीमित व्यक्ति की साधारण मृत्यु की अवस्था में उसके आश्रित को तीस हजार रूपये और दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा दुर्घटना से स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000/– रूपये का भुगतान किया जायेगा।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना :

प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु दिल्ली स्थित बिहार भवन में संयुक्त श्रमायुक्त का एक कार्यालय खोला गया है। इस योजना का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल से विमुक्त कराने तथा सुरक्षित घर तक पहुँचाना है। आर0 आर0 टेक्सटाइल, पानीपत (हरियाणा) में आग से हुये हादसे में मृतक 4 बिहारी मजदूरों के लिये 20–20 हजार रूपये जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से दिलवाये गये। सिंडवार सिनेमा हॉल, लुधियाना में हुये बम बिस्फोट में मृतक एवं घायल बिहारी मजदूरों को सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। सोनीपत (हरियाणा) में बंधक बनाकर रखे गये जहानाबाद जिले के 10 मजदूरों को मुक्त कराया गया। 55 विमुक्त बाल मजदूरों को वापस बिहार भेजा गया।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना :

इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना–मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को एक लाख रूपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

श्रम कल्याण दिवस :

राज्य सरकार ने **विश्वकर्मा पूजा** की तिथि 17 सितम्बर को ''श्रम कल्याण दिवस'' के रूप में घोषित किया है। 2007–08 में सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में यह मनाया गया था। 2008–09 में सभी जिला केन्द्रों पर यह दिवस मनाया जाएगा जिसमें श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में समारोह आयोजित किये जायेंगे और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जायेगी।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना :

खतरनाक/प्रतिबंधित उद्योगों एवं व्यवसायों से विमुक्त बाल श्रमिकों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु ''राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) का संचालन किया जा रहा है। इस प्रयोजनान्तर्गत संचालित विशेष विद्यालयों में बालश्रमिकों को शिक्षण प्रशिक्षण के अतिरिक्त 100/– रूपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृति एवं 5/– रूपया के समतुल्य मध्याह्न भोजन एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण सुविधा दी जाती है।

वर्त्तमान में राज्य के 24 जिले इस योजना से आच्छादित हैं। इनमें से 17 जिलों में स्वीकृत कुल 1177 विद्यालयों में से 1101 विद्यालय वर्त्तमान में चल रहे हैं जहाँ 63,366 बाल श्रमिक नामांकित हैं।

बालश्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम का कार्यान्वयन :

इस अधिनियम के तहत खतरनाक/प्रतिबंधित नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल–श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। 10 अक्टूबर 2006 से होटल, ढाबा, मोटल एवं घरेलू कार्य में भी बालश्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है। खतरनाक/प्रतिबंधित नियोजनों से बाल श्रमिकों की मुक्ति हेतु सभी जिलों में **धावा दल** गठित किये गये हैं। जुलाई से दिसम्बर 2007 तक राज्य में कुल 13221 निरीक्षण किये गये, जिसमें 1511 उल्लंघन के मामले प्रकाश में आये। कुल 1310 अभियोजन न्यायालय में दायर हुए तथा कुल 338 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

- **बीड़ी श्रमिकों** के लिये जमुई जिला में 1920, बेगुसराय जिला में 589 और नालन्दा जिला में 20 मकान निर्माण की स्वीकृति। इस निमित्त जमुई को 60.80 लाख, बेगुसराय को 32.60 लाख एवं नालन्दा जिले को 6.60 लाख रूपये विमुक्त। पहले बीड़ी श्रमिकों को निजी अंशदान के रूप में 5,000/– रूपया देना पड़ता था। अब इसमें से 4,000/– रूपये का अनुदान राज्य सरकार देगी और लाभुक बीड़ी मजदूर को मात्र, 1000/– रूपया अंशदान देना पड़ेगा।

  वित्तीय वर्ष 2008–09 में भी 2500 **बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु** प्रति आवास रू0 4,000/– के अनुदान दर पर कुल 1 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

- **कर्मचारी राज्य बीमा** योजना के अंतर्गत बिहटा, बरौनी एवं कहलगाँव में नये चिकित्सालय खोले गये हैं।

सूचना प्रावैद्यिकी विभाग

आज सूचना प्रावैद्यिकी (Information Technology) का युग है। **ई–शासन** (E-governance) का जमाना है। आई0टी0 के क्षेत्र में पूरा विश्व भारतीय युवाओं, विशेषकर बिहार के आई0टी0 इंजिनियरों का लोहा मनाता है। यहाँ के युवा देशों में बड़ी संख्या में पाये जाते है। इसके बावजूद बिहार सूचना प्रोवैद्यिकी के क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। इसलिये राज्य सरकार ने अप्रैल 2007 में सूचना प्रोवैद्यिकी **विभाग का सृजन** किया। अल्प अवधि में ही इस विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किये है और आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये कई कार्य योजनायें तैययार की गयी है।

- **स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (Information Technology) परियोजना** :

  इस योजना के अंतर्गत राज्य मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी प्रखंड मुख्यालयों में अवस्थित कार्यालयों को संचार नेटवर्क से संबंद्ध किया जायेगा ताकि उनके बीच डाटा, ऑडियो तथा विडियो का आसानी से आदान प्रदान किया जा सके।

  256.238 करोड़ की प्राक्कलित राशि से स्वीकृत इस योजना को मेसर्स टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज (TCS) को अक्टूबर 2008 में कार्य पूर्ण कर लेना है।

- **कॉमन सर्विस सेंटर (वसुधा केन्द्र)** :

  सामान्य लोगों को सूचना प्रावैद्यिकी आधारित सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में ''कॉमन सर्विस सेंटर'' वसुधा केन्द्र के नाम से स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक वसुधा केन्द्र एक ई–किऑस्क (e-kiosk) के रूप में होगा जिसमें कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि उपकरण रहेंगे और इन्हें इंटरनेट से भी जोड़ दिया जायेगा।

- **बिहार ऑन लाइन पोर्टल** :

बिहार ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को बिहार राज्य एवं राज्य सरकार के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनायें उपलब्ध हो सकेंगी। इस वेबसाईट पर सूचनाओं के अतिरिक्त Interactive Services एवं Payment Services भी उपलब्ध होंगी जिससे नागरिकों को राज्य सरकार से संबंधित अनेक सेवाएं घर बैठे प्राप्त हो सकेंगी। बजट में 2 करोड़ का प्रावधान।

- **सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क (Seclan)** :

10 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर यह राज्य प्रक्षेत्र की योजना है। इससे अधीन विभिन्न सचिवालय भवनों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से डाटा, ऑडियो, विडियो कनेक्टिवीटी प्राप्त होगी। इसे राज्य डाटा सेन्टर से संबद्ध किया जायेगा जिस पर कार्यालय कार्य संपादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के Software Application उपलब्ध रहेंगे।

उपयुक्त चालू योजनाओं के अतिरिक्त निम्नांकित नये प्रसतावों का भी कार्यान्वयन आगामी वर्ष में किया जायेगा।

(i) **e-Procurement :** राज्य सरकार द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से e-Procurement: की व्यवस्था की जायेगी। इसके अंतर्गत सरकार के सभी विभागों में क्रय से संबंधित कार्रवाई पारदर्शी तरीके से इन्टरनेट के माध्यम से की जायेगी।

(ii) **Knowledge City :** राज्य में एक knowledge City की स्थापना के लिए कार्रवाई आरम्भ की जायेगी। इसमें IIIT, IT Park, IT Academy आदि स्थापित किये जायेंगे जिसके माध्यम से राज्य के युवा वर्ग को सूचना प्रावैधिकी संबंधी विषयों में शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसके लिए वर्ष 2008–09 में 27 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान।

(iii) **State Mission Mode Project :** राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम के अंतर्गत कई State Mission Mode Project हैं। आगामी वर्ष में कुछ स्टेट एम० एम० पी० का कार्यान्वयन आरम्भ किया जायेगा जिसमें e-Health, e-Municipalities, e-Panchayats, e-Agriculture आदि प्रमुख हैं।

- **समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली** : राज्य सरकार द्वारा Tata Consultancy Services के माध्यम से समेंकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है। यह 01.04.2008 से लागू होने की सम्भावना है। इसकी कुल लागत 40.00 करोड़ रुपये है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी **कोषागार** एवं **उप कोषागारों** को नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा। इस तरह वित्त विभाग तथा सभी विभागों को आय और व्यय के आंकड़े कोषागारवार Real time online basis पर मिल सकेंगे और व्यय प्रबंधन में

महत्त्वपूर्ण सुधार होगा। इस प्रणाली में महालेखाकार एवं बैंको को भी जोड़ा जा रहा है जिससे महालेखाकार को भी वित्त संबंधी आंकड़े तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे।

- पटना में टेक्नोलॉजी भवन में डाटा सेंटर का निर्माण भी इसी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 10 टेराबाईट तक संभंव है। इसी डाटा सेंटर में कोषागार के साथ–साथ अन्य डाटा बेस भी रखे जा सकेंगे।

- **Paper Less administration कम कागज वाला प्रशासन** : राज्य सचिवालय में कम कागल वाला दक्ष प्रशासन शुरू करने के लिए Tata Consultancy Services के माध्यम से Integrated Workflow & Document Management System अर्थात् e-office विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संचिकायें भौतिक रूप से होने के स्थान पर electronic होंगे और एक सहायक/पदाधिकारी से दूसरे सहायक/पदाधिकारी के पास संचिका electronically ही भेजें जायेंगे।

  प्रारम्भ में यह वित्त, विधि, उद्योग, योजना एवं विकास, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं मुख्य मंत्री सचिवालय में प्रारम्भ किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना प्रारम्भ हो जाएगी।

शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत माना गया है। पिछले दशक में बिहार शैक्षणिक अराजकता के दौर से गुजर रहा था, जिसका परिणाम था बड़ी संख्या में छात्रों का राज्य से बाहर पलायन। इसलिये वर्तमान सरकार ने शैक्षणिक वातावरण के सुधार के लिये कई ठोस कदम उठाये हैं ।

व्यय के आँकड़े (राशि करोड़ रूपये में)

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
3259.98	3596.10	4143.86	4423.10	5358.99	5637.76	7293.84

सर्व शिक्षा अभियान

2001–02 में प्रारम्भ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के Universalisation का लक्ष्य था। प्रारम्भ में इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान था। परन्तु वर्ष 2007–08 से 60:35 तथा 2008–09 में 65:35 केन्द्र राज्य अनुपात के आधार पर योजना को चलाया जा रहा है।

जहॉ वर्ष 2003–04 में राज्य सरकार मात्र 194 करोड़ केन्द्र सरकार से ले सकी थी वहीं 2007–08 में बेहतर प्रबन्धन के कारण 1326 करोड़ लेने में हम सफल रहे हैं। वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार ने 885 करोड़ राज्यांश का प्रावधान कर रखा है। परिणामतः सर्वशिक्षा में जहां सरकार 2003–04 में 246.89 करोड़ खर्च कर पायी, वहीं 2007–08 में 2000 करोड़ रूपया खर्च की सम्भावना है।

सर्व–शिक्षा अभियान में व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	भारत सरकार	बिहार सरकार	कुल राशि
2003–04	194.48	64.82	259.31
2004–05	302.00	80.00	382.00
2005–06	302.00	121.32	423.32
2006–07	1026.29	538.50	1564.79
2007–08	1326.10	600.00	1926.10

नई सरकार के गठन के पश्चात् वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर निम्न कार्य विभिन्न चरणों में है।

कार्य का नाम	संख्या	वित्तीय प्रावधान
प्रा0 विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	20,950	104 करोड़ 75 लाख
प्रा0 विद्यालय में खेल सुविधा निर्माण	20,950	60 करोड़ 76 लाख
मध्य विद्यालय का जीर्णोद्धार	5090	50 करोड़ 59 लाख
मध्य विद्यालय में खेल सुविधा निर्माण	5090	29 करोड़ 34 लाख
मध्य वि0 के छात्र–छात्राओं का परिभ्रमण	29,349	14 करोड़ 22 लाख
विद्यालयों में चाहरदीवारी	20.000	300 करोड़
माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण	1088	285 करोड़ 51 लाख
माध्यमिक विद्यालयों का उत्क्रमण	500	282 करोड़ 50 लाख
(+2)विद्यालयों का सुदृढीकरण	100	56 करोड़ 50 लाख
		कुल– 1184.17

वर्ष 2008–09 में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए 308 करोड़ 46 लाख एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 308 करोड़ 46 लाख एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 42 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा

1000 माध्यमिक विद्यालयों में ICT योजना प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में 10 कम्प्यूटर लगाकर छात्रों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शिक्षकों की नियुक्ति

राज्य सरकार ने 2 लाख 12 हजार शिक्षक नियुक्त किए है। इस वर्ष 1 लाख और शिक्षकों नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इन सभी नियुक्तियों में 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण दिया गया है।

राज्य सरकार **केवल शिक्षको, कर्मचारियों** के **वेतन** पर प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा में

2862 करोड़, माध्यमिक शिक्षा में 905.02 करोड़ तथा उच्च शिक्षा में 815.70 करोड़ खर्च करती है।

अति पिछड़ों एवं अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक

राज्य सरकार सभी वर्ग की कक्षा 1–8 तक की छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराती है। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति के अलावे अति पिछड़ा एवं अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1–8 के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएगी । प्रति छात्र 150/– रू0 मूल्य की पुस्तकें मुफ्त दी जाएगी। इस पर लगभग 32 करोड़ रूपया व्यय होगा।

उच्च शिक्षा

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को खोलने की पहल की है। इस क्रम में **चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय** दो सत्रों से कार्यरत है। वर्ष 2008–09 में इस विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रूपया दिया जाएगा।

एशियाई देशों के पुनर्जागरण केन्द्र के रूप में स्थापित हो रहे **''यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा''** के लिये 42 करोड़ का प्रावधान है।

बिहार में इसी शैक्षणिक सत्र से विश्व स्तरीय **चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट** काम करना शुरू कर देगा। नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है तथा बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य के विश्वविद्यालयों की **आधारभूत संरचनाओं** के विकास के लिए 12 करोड़ 49 लाख रूपये का उपबन्ध किया गया है।

कला, संस्कृति और युवा विभाग

- वर्षों से लम्बित **कंकड़बाग स्पोर्टस कम्पलेक्स** का 30 दिसम्बर 2007 से कार्यारम्भ।
- **मोईनुल हक स्टेडियम** मैदान का जीर्णोद्धार कर इसे वर्ष 2008–09 तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान के रूप में तैयार किया जा रहा है।
- इक्कीस खेल विधाओं में **क्रीड़ा प्रशिक्षकों** की नियुक्ति के लिये विज्ञापन प्रकाशित।
- वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण महिला विद्यालय खेलों का आयोजन
- राज्य के प्रमुख ग्यारह धरोहरों–रामशीला पर्वत गया, प्रेतशीला पर्वत गया, ब्रह्मयोणी पर्वत गया, विष्णुपद गया, अलाबल खाँ का मकबरा सासाराम, गोलघर पटना, कमलदह जैन मंदिर पटना सीटी, बेगूहज्जाम की मस्जिद पटना सीटी, मुंगेर किला, अजगैबी नाथ मंदिर सुल्तानगंज, रिविलगंज (छपरा) के मंदिरों का जीर्णोंद्धार कार्यक्रम।

- **प्रेमचन्द रंगशाला,** पटना का चिर लम्बित जीर्णोद्धार कार्य 7 फरवरी 2008 से प्रारम्भ।
- **भारतीय नृत्य कला मंदिर** के समीप **बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर** का निर्माण
- भारतीय नृत्य कला मन्दिर को एक **आधुनिक प्रेक्षागृह** में परिवर्तित करने की योजना वर्ष 2008–09 में।
- पहली बार **पटना संग्रहालय** की मूर्तियाँ एवं कला कृतियाँ सिंगापुर के Asian Civilisation प्रदर्शनी में प्रदर्शन हेतु भेजी गयी।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- **बिड़ला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** (विस्तार केन्द्र), पटना के सुदृढ़ीकरण की योजना प्रस्तावित है।
- चण्डी (नालन्दा) में एक नया **अभियंत्रण महाविद्यालय** की स्थापना की योजना।
- राज्य के 09 जिलों, यथा कटिहार, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, शिवहर, डेहरी–ऑन–सोन (रोहतास) तथा सुपौल में **पोलिटेकनिक संस्थानों** की स्थापना का निर्णय। 4.40 करोड़ का प्रावधान।
- दरभंगा में **साईंस म्यूजियम** तथा **तारामंडल** के स्थापना की योजना का प्रस्ताव है।
- राज्य के अस्थावॉ (नालन्दा) में एक नए **पोलिटेकनिक संस्थान** की स्थापना की योजना भवन निर्माण विभाग को रू0 440.22 लाख मात्र की राशि उपलब्ध करायी गई है ।
- पटना स्थित **बी0आई0टी0** मेसरा के विस्तार केन्द्र में सत्र 2007–08 में 300 छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ है जिसमें 50 प्रतिशत सीट राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए कर्णांकित है। यहॉ दो अतिरिक्त अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने तथा सभी छात्र/छात्राओं के लिए अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण करने के लिए रू0 1325.835 लाख मात्र की योजना की स्वीकृति ।
- ''इसरो'' (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन) के अहमदाबाद केन्द्र के सहयोग से **''सैटेलाईट हब''** स्थापित कर ''एड्युसेट नेटवर्क'' योजना का वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 94.04 लाख मात्र की लागत पर स्वीकृत।
- राज्य में रू0 1800.00 लाख मात्र की लागत से एक **''केन्द्रीय इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर''** की स्थापना प्रस्तावित है ।
- राज्य में **स्कॉलिस्टिक सेन्टर** की स्थापना। वर्ष 2007–08 में रू0 150.00 लाख मात्र का व्यय प्रस्तावित है।

- राज्य में **आई0आई0टी0** की स्थापना पटना के समीप बिहटा–कोईलवर क्षेत्र में की जाएगी।
- वर्ष 2008–09 में गया, दरभंगा एवं मोतिहारी में **बन्द पड़े इन्जिनयरिंग** कालेज को चलाने का निर्णय प्रक्रियाधीन।

स्वास्थ्य विभाग

राज्य के नागरिकों को अच्छी एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रति सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिये प्रखंड से लेकर अनुमंडल, जिला और चिकित्सा महाविद्यालय स्तर तक सुधार कार्यक्रम चलाये गये हैं। इसी का परिणाम है कि सरकारी अस्पतालों के प्रति आम लोगों में विश्वास बढ़ा है और सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुयी है। इतना ही नहीं सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुयी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रक्षेत्र पर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1014.85	1152.75	1331.56	1634.64

- अस्पतालों में डाक्टर एवं पारामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से अबतक कुल 2000 चिकित्सक, 5,500 ए0 एन0 एम0, 3000 स्टाफ नर्स और 457 प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी है।
- निजी क्षेत्रों की भागीदारी से 134 स्थानों पर **एक्स–रे** की सुविधायें एवं सभी 38 जिला के 276 स्थानों पर **पैथोलॉजिकल** जॉच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- अस्पतालों में **दवाओं की उपलब्धता** लगातार सुनिश्चित की जा रही है। आवश्यक दवाओं की सूची का भी विस्तार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक दवायें नागरिकों को **मुफ्त** उपलब्ध हो सकें।

  मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के ओ0 पी0 डी0 में 33 एवं भर्ती मरीजों के लिये 90 दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया है। जिला के सदर अस्पतालों में ओ0 पी0 डी0 एवं अन्तःवासी मरीजों के लिये क्रमशः 33 एवं 107 दवाओं को तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0 पी0 डी0 एवं अन्तःवासी मरीजों के लिये क्रमशः 33 और 37 दवाओं को, सूची में शामिल किया गया है।
- अस्पतालों के उन्नयन के फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में **मरीजों की संख्या** में आशातीत वृद्धि (जनवरी 2006 में **39** मरीज प्रतिमाह से बढ़कर अक्टूबर 2007 में **4524** मरीज प्रतिमाह) ।
- शत प्रतिशत टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये **''मुस्कान**

एक अभियान'' प्रारम्भ। परिणामस्वरूप **टीकाकरण 11.8** प्रतिशत से बढ़कर **37** प्रतिशत हो गया।

- **संस्थागत प्रसव** में भी काफी वृद्धि हुई है। दिसम्बर 2006 में **10,832** से बढ़कर दिसम्बर 2007 में **एक लाख** से अधिक प्रसव अस्पतालों में कराए गये।
- वर्तमान में राज्य में लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक **एम्बुलेंस सेवा** उपलब्ध है और इनका उपयोग करने के लिये ''डायल–102'' की सुविधा दी गयी है।
- **योग द्वारा उपचार**

चिकित्सा के क्षेत्र में योग के महत्व को देखते हुये सरकार ने राज्य के 27 पुराने जिला अस्पतालों एवं 22 अनुमण्डलीय अस्पतालों में 6 माह तक योग कैम्प लगाने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षित एवं दक्ष प्रशिक्षक लोगों को विभिन्न बीमारियों का ईलाज योग के द्वारा करने के लिये मार्ग दर्शन देंगे।

इसके लिये वर्ष 2008–09 में 11 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

- **विद्यालय छात्र स्वास्थ्य–परीक्षण योजना**

सभी सरकारी मध्य विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जाँच कर ''हेल्थ कॉर्ड'' निर्गत करने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिलों में इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसके लिये बजट में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**

असाध्य रोग से ग्रसित मरीजों की सहायता के लिये गठित इस कोष का क्षेत्र विस्तार किया गया है। अब ऐसे मरीज सीधे सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जाकर ईलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं असाध्य रोग से ग्रसित मरीज अब दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिये भी स्थानिक आयुक्त (Resident Commissioner) के कार्यालय में जाकर संबंधित बीमारी के लिये आवश्यक राशि अस्पतालों में भिजवा सकते हैं।

- 27 पुराने सदर अस्पताल, 22 पुराने अनुमण्डलीय अस्पताल एवं 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जेनरिक दवा दुकान निर्माण करने, 689 स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन निर्माण, सफाई, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, चहारदिवारी निर्माण, 27 पुराने सदर अस्पताल में कैन्टीन निर्माण, 22 पुराने अनुमंडलीय अस्पतालों के निर्माण एवं 27 जिलों में दो–दो एवं नव सृजित 11 जिलों में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उत्क्रमित करने के लिये कुल 158.58 करोड. की राशि भवन निर्माण विभाग को दे दी गयी है ।
- पटना, दरभंगा एवं भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में **एम0 आर0 आई0**

(MRI) मशीन लगाने की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिये सामान्य आवंटन के अतिरिक्त 25.10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

- 11 जिला अस्पतालों में 200 बिस्तर, 18 जिला अस्पतालों में 300 बिस्तर और 9 जिला अस्पतालों में 500 बिस्तर की योजना स्वीकृत।
- नालंदा, मधेपुरा एवं पश्चिमी चम्पारण तथा इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में **नये मेडिकल कॉलेज** की स्वीकृति। वर्ष 2008–09 में नये चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान एवं अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक निर्माण हेतु 18.50 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- **महादलितों के टोलों** में स्वास्थ्य कैम्प लगाये जायेंगे एवं उन टोलों के बुजुर्गों के **मुफ्त "आई चेक–अप"** कराने की व्यवस्था की जायेगी एवं **मुफ्त चश्मा** भी उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये 7 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- सभी जिलों में दो–दो **ब्लड बैंक** और लगभग सभी जिला अस्पतालों में आई0सी0यू0 और डायलिसिस–सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

स्वच्छता स्वस्थ समाज और स्वस्थ राज्य की शर्त है। इसलिये हमारी सरकार ने इसे विशेष महत्त्व दिया है।

व्यय के आँकड़े (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
25.14	43.21	96.31	204.27	225.27

- **लोहिया स्वच्छता अभियान** : डा0 राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में लोकसभा में महिलाओं के खुले में शौच को देश के लिए शर्मनाक बताते हुए इसे एक मुद्दा बनाया था। उनके विचार को मूर्तरूप देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ शौचालय युद्ध स्तर पर बनवाने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है।

  गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए राज्य का हिस्सा 1100 रू, केन्द्र का 600 तथा लाभार्थी का योगदन 300 रू होगा। 1700 रूपया प्रति परिवार अनुदान स्वरूप दिया जाएगा।

  गरीबी रेखा से उपर के लिए **केन्द्र का कोई अनुदान नहीं** है। राज्य सरकार ने अपने बजट से **1500** रूपया प्रति शौचालय अनुदान देने का निर्णय लिया है।

  स्वच्छता कार्यक्रम हेतु प्रत्येक प्रखंड में एक को–आर्डिनेटर रखने का प्रावधान है जो योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा।

- **निर्मल ग्राम पुरस्कार** : सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी घरों में, सभी

विद्यालय एवं सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण तथा खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने पर ग्राम पंचायतों/प्रखंडो को भारत सरकार द्वारा **"निर्मल ग्राम पुरस्कार"** दिया जाता है।

वर्ष 2006–07 में राज्य के 39 ग्राम पंचायतों तथा वैशाली जिला के देसरी प्रखंड को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था।

वर्ष 2007–08 में 515 ग्राम पंचायत एवं दो प्रखंड वैशाली जिला के सहदेई बुजूर्ग और राजापकर को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

- **श्मशान घाटों का निर्माण** : राज्य में श्मशान घाटों के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2008–09 में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **पाइप द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति** : 158 प्रखंड मुख्यालयों में 130 करोड़ 52 लाख की योजना स्वीकृत है। वर्ष 2006–07 में 109 प्रखंड मुख्यालयों में कार्य प्रारम्भ जिसे वर्ष 2008–09 में पूरा कर लिया जाएगा । वर्ष 2007–08 में 44 और प्रखंडों में कार्य लिया गया है। वर्ष 2008–09 में 60 करोड़ 78 लाख का प्रावधान।
- **प्राथमिक/मध्य विद्यालय पेय जलापूर्ति** : 57,408 विद्यालयों में एक अतिरिक्त चापाकल निर्माण हेतु 192 करोड़ 52 लाख की योजना स्वीकृत । इसे दो वर्ष में पूरा करना है।

समाज कल्याण प्रक्षेत्र

राज्य के पिछड़े, उपेक्षित और वंचित वर्ग का कल्याण राज धर्म है और सरकार इस दायित्व के निर्वहन के प्रति पूरी तहर संकल्प बद्ध है।

समाज कल्याण एवं कल्याण पर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
61.03	274.17	459.64	499.12	1178.98

वित्तीय वर्ष 2008–09 में सभी योजनाओं को मिलाकर 26 लाख 40 हजार लोगों को पेंशन से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :– 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, असहाय, एवं आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को 200/– मासिक पेंशन का डाकघर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। अक्टूबर 2005 में जहाँ पेंशनधारियों की संख्या 4,82,127 थी वहीं दिसम्बर 07 में बढ़कर 14 लाख 15 हजार 179 हो गयी है।

योजना	अक्टूबर–05	अक्टूबर–06	मार्च–07	दिसम्बर–07
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4,82,173	8,44,245	10,16,150	14,15,179

वर्ष 2008–09 में 455 करोड़ 77 लाख रूपये का प्रावधान।

बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन :— केन्द्र सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को पेंशन में सहायता देती है। परन्तु 60—65 आयु के वृद्धों के लिए राज्य सरकार बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन चलाती है जिसमें इन्हें 200/— रूपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

वर्ष 2008—09 में 1 लाख 10 हजार वृद्धों को 200/— मासिक पेंशन का लक्ष्य है। इसके लिए 26 करोड़ 95 लाख का उपबन्ध किया जा रहा है।

कबीर अन्त्येष्ठी अुनदान योजना :—गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के किसी भी सदस्य के स्वाभाविक या आकस्मिक मृत्यु में अन्त्येष्ठी क्रिया सम्पन्न कराने हेतु 1,500/— (एक हजार पाँच सौ रूपये) मृतक के निकटतम आश्रित को भुगतान किया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत, नगर निकाय को 7,500 रूपए अग्रिम चेक द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आश्रित को तत्काल नगद भुगतान किया जा सके।

वर्ष 2008—09 में 16 करोड़ का उपबन्ध है जिससे 1 लाख 6 हजार 670 परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनुदान योजना :—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशनधारियों को वाह्‌य हिंसात्मक या दृश्य साधनों द्वारा घटित दुर्घटना के कारण कोई शारीरिक चोट पहुँचती है तथा ऐसी चोट के कारण एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी द्वारा **एक लाख (1,00,000/—) रूपये** की राशि बिमित व्यक्ति के आश्रित को एकमुश्त दिया जाएगा।

उक्त योजना का प्रीमियम 15/— वार्षिक प्रति पेंशनधानी का भुगतान राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके प्रीमियम के भुगतान हेतु 3.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन :—10 वर्ष से अधिक आयु के 30 हजार वार्षिक आय से कम के परिवार के विकलागों को इस योजना के तहत 200/— रूपया पेंशन दिया जा रहा है। वर्ष 2007—08 में 1 लाख 50 हजार विकलागों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था जिसे वर्ष 2008—09 में बढ़ाकर 1 लाख 65 हजार किया जा रहा है। इस पर 4 करोड़ 70 लाख रूपया खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना :— मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत विकलागों के लिए तिपहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, कैलीपर्स, कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008—09 में 5 करोड़ का प्रावधान।

विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति :— वर्ग 1 से स्नानकोत्तर तथा उससे उपर

की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।

- **अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय** :–वर्तमान में अनु0 जाति के लिए 51 एवं अनु0 जनजाति के लिए 15 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में वर्तमान सरकार द्वारा नये 13 अनु0 जाति बालिका एवं 1 अनु0 जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालयों के स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

  राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों में दी जानेवाले भोजन, वस्त्र, पठन–पाठन सामग्री,एवं अन्य सुविधाओं के दरों में लगभग दोगुना वृद्धि की गई है। पूर्व के दर एवं वर्तमान दर निम्न प्रकार हैः–

अनु.जाति एवं जन जाति आवासीय विद्यालय

क्र0	मद	पूर्व का दर	वर्तमान दर
1.	भोजन	500/– प्रतिमाह	900/– प्रति माह
2.	विशेष भोजन	अलग से कोई प्रावधान नहीं।	100/– प्रति वर्ष
3.	वस्त्र	500/–प्रति वर्ष	1500/–प्रति वर्ष
4.	पठन–पाठन सामग्री	400/–प्रति वर्ष	1000/–प्रति वर्ष
5.	दवा	50/–प्रति वर्ष	100/–प्रति माह एवं बालिकाओं के लिए 25/–प्रतिमाह अतिरिक्त
6.	तेल,साबुन,सोडा	20/–प्रति माह	100/–प्रतिमाह
7.	परिवहन	कोई प्रावधान नहीं	विभिन्न स्तर के विद्यालय हेतु 150/–से 600/–प्रतिमाह
8.	सफाई हेतु	150/–प्रति माह।	विभिन्न स्तर के विद्यालय हेतु 500/–से 3000/–प्रतिमाह ।
9.	किरासन तेल	अलग से कोई प्रावधान नहीं।	विभिन्न स्तर के विद्यालय हेतु 600/–से 4800/–प्रतिमाह ।
10.	खेल–कूद	कोई प्रावधान नहीं।	विभिन्न स्तर के विद्यालय हेतु 5000/–से 10000/–प्रति वर्ष।
11.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	कोई प्रावधान नहीं।	विभिन्न स्तर के विद्यालय हेतु 7500/–से 15000/–प्रति वर्ष।
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	कोई प्रावधान नहीं।	500/–प्रति छात्र प्रति वर्ष ।
13.	कम्प्युटर प्रशिक्षण	कोई प्रावधान नहीं।	500/–प्रति छात्र प्रति वर्ष ।
14.	सुरक्षा गार्ड	कोई प्रावधान नहीं।	2000/– प्रति संस्थान प्रति माह।

- **अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए छात्रवृत्ति** :– अनु0 जाति एवं अनु जनजाति के विद्यालय स्तर से प्रवेशिकोत्तर स्तर तक के कक्षाओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनायें संचालित किया जा रहा है।

  वर्ष–2004–05 में छात्रवृत्ति मद में कुल–41.51 करोड़ रू0 स्वीकृत कर लगभग 8 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया था। जबकि वर्ष 2006–07 में कुल 49.49 करोड़ रू0 स्वीकृत कर 11 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्ष–2007–08 में अबतक 116.98 करोड़ रू0 स्वीकृत किया गया है एवं 28 लाख बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

अल्प संख्यक कल्याण

परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं को स्वरोजगार हेतु, 10,000 रूपये प्रति तलाकशुदा महिला को, राशि देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 0007–08 में 1.40 करोड़ तथा वर्ष 2008–09 में भी 1.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- **मुख्य मंत्री श्रम शक्ति योजना** : अल्पसंख्यक समुदाय के कुशल श्रमिकों के लिए एक योजना की घोषणा की गयी है जिसके तहत 6 माह से 1 वर्ष तक तकनीकी प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के दौरान रूपये 1500–2000 प्रति माह स्टाइपैंड दिया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् बिहार राज्य अल्प संख्यक वित्त निगम से स्व–नियोजन हेतु 50,000/रूपये–ऋण का प्रस्ताव है । वर्ष 2008–09 में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- **अल्पसंख्यक समुदाय के महान विभूतियों के नाम पर भवन निर्माण** : स्व0 **मौलाना मजहरूल हक**, स्व0 **अब्दुल क्यूम अंसारी**, स्वर्गीय **गुलाम सरवर** के नाम पर 34, हार्डिगं रोड, पटना परिसर में **ऑडिटोरियम** तथा **मेमोरियल** भवन बनाने का निर्णय लिया गया है ।
- **कब्रिस्तानों की घेराबन्दी** : को सरकार ने प्राथमिकता सूची में लिया है। राज्य में कुल 8064 कब्रिस्तान है जिनकी घेराबन्दी की 360.48 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। सरकार वचनबद्ध है कि राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जाए।
- **मुख्य मंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** : मैट्रिक परीक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दस हजार रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। 2008–09 में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- प्राथमिक विद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सभी छात्र/छात्राओं को **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध** कराने का निर्णय।

- **भागलपुर दंगों** मे मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को 2500/–रूपये प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है।
- **अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास** : इसके अन्तर्गत सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण किया जाना है। अभी तक 14 जिलों मे 15 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2008–09 मे 10 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रावधान।
- **हज भवन का निर्माण** : पटना के 34, अली इमाम पथ पर कुल 5 करोड़ 87 लाख रूपये की लागत से **हज भवन** का निर्माण।

नारी सशक्तिकरण

नारी सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस निमित्त सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय ही नहीं किये, उनका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है।

- बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने पंचायत एवं शहरी निकायों में महिलाओं के लिए **50 प्रतिशत** का **आरक्षण** दिया। इसका अनुसरण करते हुए **मध्य प्रदेश** एवं **हिमाचल प्रदेश** ने भी पचास प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।

ज्ञातव्य है कि संविधान में **33 प्रतिशत आरक्षण** का ही प्रावधान हैं।

- त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में पहली बार **सभी स्तरों** पर **54.73 प्रतिशत महिलायें** निर्वाचित हुई जो एक रेकॉर्ड है। राज्य की विभिन्न पंचायतों में जहाँ 3784 महिलायें मुखिया निर्वाचित हुई, वहीं 237 महिलायें प्रमुख और 18 महिलायें जिला परिषद की अध्यक्ष, 568 महिलायें जिला परिषद् सदस्य, 5371 महिलायें पंचायत समिति सदस्य और 54260 ग्राम पंचायतों की सदस्या चुनी गयी। इसी प्रकार 4013 महिलायें ग्राम कचहरी सरपंच और 54448 महिलायें ग्राम कचहरी की पंच निर्वाचित हुयी हैं। एक प्रकार से यह मौन क्रांति एवं महिला सशक्तिकरण का एक अद्भूत उदाहरण है।
- नगर निकाय चुनाव में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। परिणाम स्वरूप नगर पालिका के पार्षद के रूप में 1465, मुख्य पार्षद के रूप में 74 और उपमुख्य पार्षद के रूप में 25 महिलायें निर्वाचित हुई।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

कक्षा 6–8 की सभी वर्ग की छात्राओं के पोशाक के लिए उनके खाते में 700/– रूपये प्रति छात्रा उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2008–09 में 10.28 लाख छात्राओं के लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :

कक्षा 9 की सभी वर्ग की 1.63 लाख छात्राओं के लिए मुफ्त साईकिल योजना को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रति छात्रा 2000/– रूपये खाता खोलकर खाते में जमा कर दिया जाएगा। वर्ष 2008–09 में 1.70 लाख छात्राओं के लिये 34.85 करोड़ का उपबंध।

कक्षा 1–8 की सभी छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :

वर्ग 1–8 कक्षा की सभी वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित किया जा रहा है।

मीना मंच और मीना रंगमंच :

राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु '**मीना मंच**' का गठन और '**मीना रंगमंच**' का आयोजन।

प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय :

250 प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण ।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :

भ्रूण हत्या को रोकने तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु गरीब परिवार की कन्या को जन्म के समय एक मुश्त अनुदान के रूप में 2000/– रूपये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चिल्ड्रेन वेलफेयर फंड या कन्या सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

18 वर्ष की आयु होने पर इस पैसे को निकाला जा सकेगा। वर्ष 2008–09 में 26 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

60 हजार से कम वार्षिक आय वाले शहरी एवं ग्रामीण परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह के अवसर पर 5000/–(पाँच हजार रूपया) चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा दिया जाएगा।

बाल विवाह एवं दहेज को रोकने, विवाह के निबंधन, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने में इस योजना का लाभ मिलेगा। वर्ष 2008–09 में 20 करोड़ का प्रावधान।

नारी शक्ति योजना :

घरेलू हिंसा तथा अनैतिक पणन (Traffiking) से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए संरक्षण गृह, अल्पावास गृह पालना घर, स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं

आर्थिक जीविकोपार्जन हेतु हरी सब्जी विपणन, मधुबनी पेटिंग, सेनिटरी नेपकीन निर्माण आदि तथा गीत–संगीत प्रतियोगिता सामाजिक कुरूतियों के विरूद्ध प्रचार प्रसार के संचालन हेतु **नारी शक्ति योजना** प्रारम्भ की गयी है।

वर्ष 2008–09 में 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

30 हजार वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार की 2 लाख 20 हजार विधवाओं को इस योजना के तहत 200/– रूपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। वर्ष 2008–09 में 53 करोड़ 9 लाख का प्रावधान।

- पिछड़ी जातियों के लिए बारह **कन्या आवासीय उच्च विद्यालय** हेतु 2 करोड़ 84 लाख का प्रावधान।
- बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत **80,771 आँगनबाड़ी** केन्द्रों के विरूद्ध 80,211 केन्द्र क्रियाशील हैं। शेष 560 आँगनबाड़ी केन्द्रों को मार्च, 2008 तक क्रियाशील कर लिया जाएगा।
- आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत **बच्चों, महिलाओं** एवं **किशोरी बालिकाओं** को **पूरक पोषाहार** हेतु वर्ष 07–08 में 228 करोड़ 34 लाख प्रावधान था वहीं 2008–09 285 करोड़ 56 लाख का प्रावधान।
- **किशोरी बालिकाओं** के लिए पोषाहार योजना के तहत वर्ष 2008–09 में 13.80 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई0सी0डी0एस0) के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य, जिला एवं परियोजना स्तर को पूर्णतया **कम्प्यूटरीकृत** किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इसके लिए 6 करोड़ का उपबन्ध।

ग्रामीण विकास विभाग

व्यय का आँकड़ा (राशि करोड़ रूपये में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
537.43	594.07	868.62	1013.04	1168.33

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा एवं कुपोषण को दूर करने एवं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार तत्पर है।

- **रोजगार गारन्टी योजना** के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 5 लाख परिवारों को **जॉब कार्ड** निर्गत किए गये है। साथ ही 549 करोड़ 62 लाख रूपये का व्यय कर 449.578 लाख मानव दिवस सृजित कर 25651 योजनाएँ निर्मित की गई है।

- रोजगार गारन्टी योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु सभी पंचायतों मे एक **रोजगार सेवक** नियुक्त। कुल **11,445** पदों पर विभिन्न कर्मियों की नियुक्ति।
- रोजगार गारन्टी योजना के तहत Biometric प्रणाली द्वारा मजदूरी भुगतान की पायलट योजना वर्ष 2008–09 मे प्रारम्भ। देश में यह पहला प्रयोग होगा।
- जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को सृद्ढ़ करने हेतु **जिला स्तर के रिक्त पदों** पर संविदा के आधार पर कुल **1173** (एक हजार एक सौ तिहत्तर) पदों को भरा गया है।

पंचायती राज : पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि

- **पिछड़ा क्षेत्र विकास** निधि के अन्तर्गत राज्य के 37 जिलों का चयन किया गया है। सीवान जिले में यह कार्यक्रम पूर्णतया राज्य सरकार की निधि से चलाया जाएगा।
- प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रूपए क्षमता संवर्द्धन हेतु, 10 करोड़ रूपया विकास हेतु तथा शेष राशि जन संख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जिलों को आवंटित की जाएगी।
- वर्ष 2007–08 में इस हेतु 638.96 करोड़ रूपया का उद्व्यय एवं सीवान जिला हेतु अलग से 16 करोड़ निर्धारित है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य का सर्वांगीण विकास सरकार का अभिष्ट है। एक ओर सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति संकल्पित है वहीं यहॉ के नगरों और कस्बों का विकास भी सरकार की प्राथमिकता सूची में है और इसके लिए कालबद्ध योजनायें प्रारम्भ की गयी है।

- ग्रामीण पथों, पुल–पुलिया के विकास के लिए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के समान शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु **मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना** प्रारम्भ की जा रही है।

  वर्ष 2008–09 के बजट में इस हेतु प्रारम्भिक तौर पर **100 करोड़** का उपबंध किया जा रहा हैं।
- **पटना शहरी क्षेत्र के लिए ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन** (Solid Waste Management) : की कुल 36.95 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत। इसका जन–निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) मॉडल पर क्रियान्वयन किया जा रहा है । अन्य नगरों के लिए सहाय्य अनुदान 10 करोड़ रूपये।
- **लद्यु एवं मध्यम शहरों की आधारभूत संरचना विकास योजना (UIDSSMT)** : के अन्तर्गत राज्य के 9 शहरों–**नरकटियागंज, रोसड़ा, फतुहा, मुरलीगंज, बरबीघा, भभुआ, बख्तियारपुर, लालगंज** और **चकिया** के लिए **152.57** करोड़ रूपये स्वीकृत। कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जाएगा।

- **समेकित आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)** : के अन्तर्गत 10 **शहरों–कांटी, औरंगाबाद, नरकटियागंज, मोतीपुर, रोसड़ा, शेखपुरा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णियाँ और बहादुरगंज** के लिए 82.72 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत। इसका कार्यान्वयन हिन्दुस्थान प्रीफेन लि0 (HPL) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अल्प आय एवं कमजोर वर्गो के लिए कुल **6500 आवासों** के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
- पटना स्थित बाँकीपुर जेल परिसर को 150 करोड़ रू0 की लागत से **बुद्ध स्मृति पार्क** के रूप में विकसित करने का निर्णय।
- शहीद वीर **कुंवर सिंह पार्क** (हार्डिंग पार्क) को भी विकसित करने का निर्णय।
- **शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (Basic Services For Urban Poor) योजना**: के अन्तर्गत **पटना** के समीपस्थ शहरों के झुग्गी झोपड़ियों के समेकित विकास हेतु 313.15 करोड़ तथा **बोधगया** शहर के लिए 54.57 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अन्तर्गत पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ, खगौल तथा बोधगया में कुल 14,596 आवास स्वीकृत।
- **पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, पूर्णियाँ तथा मुंगेर** शहर की पेय जलापूर्ति तथा जल निकासी से संबधित चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रूपये का वर्ष 2008–09 में प्रावधान किया गया है।
- **बिहार राज्य आवास बोर्ड** के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 1 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया जा रहा है।
- पिछले वर्षों में **नगर निकायों** में वेतन भुगतान को लेकर **कर्मचारी** आए दिन हड़ताल पर रहा करते थे। इस वित्तीय वर्ष में नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए **शत–प्रतिशत वेतन भुगतान** के लिए 49 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं।
- राज्य में वसूल किए गए कुल राजस्व संग्रहण का **3 प्रतिशत राशि** आनुपातिक रूप से सभी नगर निकायों को **अनुदान** के रूप में उपलब्ध–कराया जा रहा है।
- प्रत्येक नगर निकाय में इस वित्तीय वर्ष में **नगर प्रबंधक (City Manager)** की व्यवस्था की जा रही हैं।
- जो नगर निकाय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का **80 प्रतिशत** तक **राजस्व संग्रहण** करते हैं, उनको वसूली की गयी राशि का **10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि** के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- **ई–गवर्नेंस**/नगरीय सुधार कार्यक्रमों के लिए 9 करोड़ का प्रावधान।

पर्यटन विभाग

- बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर देश–विदेश के पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। बोध गया, नालन्दा, वैशाली, राजगीर, गुरूगोविन्द सिंह जी की जन्मस्थली पटना सिटी जैसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थल बिहार में ही हैं। परन्तु अतीत में बिहार को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कभी गंभीर प्रयास नहीं हुआ। हमारी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और जिसका सुखद परिणाम पर्यटकों की संख्या में वृद्धि है।
- **मेकांग–गंगा सहयोग** के अंतर्गत पॉच एशियन राष्ट्रों, यथा– कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एवं म्यांमार के लगभग सवा सौ बौद्ध यात्रियों का दल सितम्बर 2007 में बिहार भ्रमण पर था।

वर्ष	देशी पर्यटकों की संख्या	विदेशी पर्यटकों की संख्या	कुल पर्यटकों की संख्या
2005	86,87,220	63,321	87,50,541
2006	1,06,70,268	94,446	1,07,64,714
2007 (नवम्बर 2007 तक)	97,63,800	1,24,347	98,88,147

- **कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाये जो निर्माणाधीन है–**

  ● बोध गया में **माया सरोवर परिसर** का विकास ● महाबोधिमंदिर में **मेडिटेसन पार्क** का विकास ● बोधगया में ट्रैफिक इन्टरचेन्ज नोड–सह–शॉपिंग कम्पलेक्स का विकास ● नालन्दा में **ह्वेनसांग मेमोरियल** हॉल का विकास ● मल्लिक बायु इब्राहिम मकबरा ● बड़ी पहाड़ी ● बिहार शरीफ का विकास ● जल पर्यटन हेतु **मोटर बोट** सेवा व्यवस्था।

- **भावी योजनायें**

  राजगीर के **"होटल तथागत बिहार"** और बोधगया के **"होटल सिद्धार्थ बिहार"** को तीन सितारा होटल में परिवर्तित करने की योजना ● पटना में एक **पाँच सितारा होटल** के निर्माण की योजना ● बोध गया में कल्चरल कॉम्पलेक्स ● **होटल प्रबन्धन संस्थान** ● नालन्दा में **सांस्कृतिक ग्राम** का निर्माण ● मुजफ्फरपुर में **फूड–क्राफ्ट इंस्टि्टयूट** की स्थापना ● गंगा नदी में **48–सीटर फ्लोटिंग रेस्तराँ** का संचालन।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग पर मुख्यतः राज्य के विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी है। विभाग **डिपोजिट वर्क** के रूप में इन कार्यों का सम्पादन करता है। विगत दो वर्षों में निर्माण कार्य में आयी तेजी के कारण इस विभाग पर अचानक कार्य

बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके बावजूद विभाग अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति सचेष्ट है।

- विभाग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 100 शय्या वाले सदर अस्पतालों के निर्माण के लिये 66.00 करोड़ रूपये, 75 शय्यावाले अनुमंडील अस्पतालों के लिये 167.12 करोड़ रूपये, 15 रेफरल अस्पताल को अनुमंडलीय अस्पतालों में उत्क्रमण के लिये 36.57 करोड़ रूपये, 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिये 24.00 करोड़ रूपये, 25 सदर एवं 20 अनुमंडलीय अस्पतालों के उत्क्रमण के लिये 43.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उत्क्रमण के लिये 17.50 करोड़ रूपये, 689 स्वास्थ्य उप केन्द्रों के निर्माण के लिये 52.87 करोड़ रूपये, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरिक दवा दूकान के लिये 9.784 करोड़ रूपये तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में आधार भूत संरचनाओं के विकास के लिये 62.00 करोड़ रूपये दिये गये है।
- राज्य के 20 अनुमंडलीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिये 30 करोड़ रूपये दिये गये हैं।
- कल्याण विभाग, वाणिज्य–कर विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा राजस्व विभाग ने भी अपने भवनों के निर्माण के लिये विभाग को राशि उपलब्ध कराया है।

गृह विभाग

राज्य की आम जनता की सुरक्षा सरकार का प्राथमिक दायित्व है। इसलिये सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था में सुधार के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं और इनका प्रभाव भी दिखने लगा है।

- दस नए थाने, दो नए पुलिस अनुमंडल स्थापित करते हुए 5288 नए पद अंगरक्षक एंव 850 नए पद पुलिस जवानों के स्वीकृत।
- एक नई **महिला बटालियन** बिहार सशस्त्र पुलिस बल स्वीकृत।
- सेना के सेवानिवृत **11,500** जवानों को **सैप** में बहाली की कार्रवाई
- 20 हजार नए **स्वयंसेवी गृह रक्षकों** का नामांकन कार्य प्रारम्भ।
- गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 100/– प्रतिदिन से बढ़ाकर 125/– किया गया।
- पुलिस केवल अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं करती बल्कि समाज कल्याण के लिए भी उन्मुख है। अभियान चलाकर **1 लाख 84 बच्चों का** स्कूल में **नामांकन**।

- 329 परिवारों में **पति–पत्नी** के बीच **बिखराव** के उपरान्त समझौता।
- **पुलिस भवन** निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया गया।
- **स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण** द्वारा वर्ष **1974** से **1977** के बीच चलाए गए आन्दोलन के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत जेल में बन्द/मारे गए व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को सम्मानित करने के लिए दिसम्बर 2007 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- **स्वतंत्रता सेनानियों** के सम्मान पेंशन की राशि 430 रूपये से बढ़ाकर दो हजार प्रति माह किया गया है तथा उनके उत्तराधिकारियों की परिचय पत्र निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
- सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं आश्रित पेंशनधारियों को उनकी वृद्धावस्था एवं शारीरिक कठिनाईयों को देखते हुए सम्मान भत्तों की राशि उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय।

पिछले वर्षों में पूरा राज्य अनियंत्रित अपराध की गिरफ्त में था । आतंक, भय सहित रंगदारी, अपहरण के कारण लोग पलायन करने लगे थे।

नई सरकार के गठन के बाद आपराधिक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई है।

फिरौती के लिए अपहरण

2002	2003	2004	2005	2006	2007
396	335	411	251	194	89

दो वर्षों में अपराधियों को सजा– 2006–2007 से 2008 (जनवरी तक)

फाँसी	आजीवन कारावास	दस वर्ष से अधिक सजा	दस वर्ष से कम सजा	कुल सजा
65	3774	1115	12,494	17,448

कारा

- जेलों में व्यापक सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों एवं चिकित्सा कर्मियों के कुल 4892 नए पद सृजित।
- काराओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे है। इसमें गुणात्मक सुधार हेतु क्लोज सर्किट टी.वी., विडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा एवं जेनेरेटर सेट लगाए जा रहे है।

- मण्डल कारा अररिया, भभुआ, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद एवं उप कारा बाढ, बेनीपट्टी के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- काराओं के पुराने **शौचालयों का जीर्णोद्वार** एवं 1233 नए शौचालय, 900 **चापाकल** एवं 50 काराओं में आधुनिक **रसोईघर** निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

भ्रष्टाचार नियंत्रण

राज्य में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिये सरकार ने इसके रोक के लिये प्रभावी कदम उठाया है।

- निगरानी विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में दृश्य, श्रव्य एवं प्रिन्ट माध्यमों से वातावरण तैयार किया गया तथा Corruption Control Squad के मोबाईल नंबर के व्यापक प्रचार तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप लोकसेवकों को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ने में निगरानी विभाग को व्यापक सफलता मिली।
- विगत 11 वर्षों में (वर्ष 1995 से 2005 तक) कुल 47 ट्रैप केसेज की तुलना में अकेले वर्ष 2006 में 60 ट्रैप केसेज में 68 की गिरफ्तारी तथा वर्ष 2007 में 108 ट्रैप केसेज में 126 की गिरफ्तारी की गयी। इस वर्ष 12 ट्रैप केसेज में अभी तक 14 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । 15 अगस्त, 2006 के बाद इस अभियान को दिये गये विशेष गति के तहत अबतक कुल 165 ट्रैप केसेज के तहत 195 अभियुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार किये जा चुके है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी विभाग का जंग

वर्ष	ट्रेप मुकदमे	गिरफ्तारी
1995–2005 (11 वर्ष)	47	49
2006	60	68
2007	108	126
2008 (22 फरवरी तक)	12	14

- **आय से अधिक सम्पत्ति** (DA) के मामलों में लगभग 8 करोड़ की सम्पत्ति चिन्हित कर मुकदमें दर्ज किये गये हैं।
- पूर्व के 25–30 काण्डों के वार्षिक औसत के विरूद्ध वर्ष 2006 में 103 काण्ड, 2007 में 133 काण्ड तथा इस वर्ष (22.02.2008 तक) 14 काण्ड दर्ज किये गये। पूर्व के मात्र 25–30 काण्डों के वार्षिक औसत के विरूद्ध वर्ष 2006 में 99 काण्डों (14 में पूरक) के अनुसंधान पूर्ण किये गये तथा वर्ष 2007 में विशेष अभियान चलाकर 276 काण्डों (पूरक समेत) के अनुसंधान पूर्ण किये गये। इनमें 396 राजपत्रित पदाधिकारी, 332 अराजपत्रित पदाधिकारी एवं 215 गैर लोक सेवक समेत कुल 943 व्यक्तियों पर आरोप पत्र समर्पित किया गया।

- विद्युत पर्षद कोषांग द्वारा भी अब तक विद्युत बोर्ड के 260 कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा विद्युत बोर्ड से की गई है एवं एक कनीय अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया गया है।

कुछ महत्वपूर्ण पहल

- निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि की लागत से बन रहे **सड़कों का औचक निरीक्षण** कराने की व्यवस्था की गई है ताकि निर्माण कार्य के दौरान ही अनियमितता की जाँच कर उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- ट्रैप केसेज के **स्पीडी ट्रायल** हेतु नवगठित विशेष न्यायालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
- ब्यूरो में पदाधिकारियों की **प्रतिनियुक्ति** हेतु समुचित स्क्रीनिंग एवं Incentive के रूप में ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की अवधि में 15 प्रतिशत विशेष वेतन के अतिरिक्त आरक्षी उपाधीक्षक एवं उससे कनीय पुलिसकर्मियों को ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की अवधि तक एक Rank Promotion देने का सरकार ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय ले लिया है।
- ब्यूरो के मुजफ्फरपुर/भागलपुर **क्षेत्रीय कार्यालयों** के अतिरिक्त सीवान एवं सहरसा में कार्यालय शुरू हो गये हैं। गया में कार्यालय की शीघ्र स्थापना की जायेगी।
- ट्रैप केस के शिकायतकर्त्ता द्वारा घूस के रूप में लगायी गयी राशि के **समतुल्य** राशि की सरकार द्वारा तुरंत **प्रतिपूर्ति** करने एवं कालान्तर में न्यायालय द्वारा राशि विमुक्त होने पर उसे सरकारी खजाने में जमा करने हेतु बजट में 20 लाख का प्रावधान।

वाणिज्य–कर विभाग

वाणिज्य–कर विभाग विभाग राज्य के राजस्व में योगदान करने वाला एक महत्त्वपूर्ण विभाग है।

- चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 2008 तक वाणिज्य–कर विभाग का कुल कर–संग्रह रू. 2462.95 करोड़ है जबकि इसी अवधि में वर्ष 2006–07 का कर–संग्रह रू.2030.08 करोड़ था। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा जनवरी'08 तक विभाग ने रू.432.87 करोड़ से ज्यादा कर की वसूली की है एवं कर की वृद्धि दर 21.32 प्रतिशत है।
- व्यवसायिओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा **वैधानिक प्रपत्रों** के निर्गमन की प्रक्रिया को नवम्बर'2007 से **सरल** एवं **युक्तिसंगत** बनाया गया है।

- राज्य के छोटे व्यवसायिओं की कठिनाईयों को दूर करने के लिए **समाहितीकरण** योजना के अधीन कर दर को 1 प्रतिशत से घटा कर **0.5** प्रतिशत सितम्बर'2007 से कर दिया गया है।
- निबंधित व्यवसायिओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए मासिक विवरणी के स्थान पर **तिमाही विवरणी** जमा करने की व्यवस्था मार्च'2007 से लागू की गई है।
- राज्य में **मनोरंजन उद्योग** को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन कर की दर में कमी एवं नव निर्मित सिनेमा गृहों को सितम्बर'2007 से एक निश्चित अवधि के लिए कर से विमुक्त किया गया है।

(क) कर दर युक्तिसंगत की जाने वाली वस्तुएँ

- **स्वदेशी हस्तनिर्मित साबुन**

राज्य के देहाती क्षेत्रों में एवं छोटे कस्बों में हस्त निर्मित साबुन की ज्यादा खपत होती है। राज्य में हस्त निर्मित साबुन कर मुक्त है, परन्तु ब्राण्डेड हस्त निर्मित साबुन पर 12.5 प्रतिशत कर है। प्रत्येक साबुन का साधारण तथा कोई न कोई ब्रान्ड भी होता है। फलतः कर मुक्ति का लाभ इस उद्योग को नहीं मिल रहा था। अतः पड़ोसी राज्यों के समान सभी प्रकार के हस्तनिर्मित साबुन को कर मुक्त करने का प्रस्ताव है।

- **होटलों** के **विस्तारीकरण** पर भी **लक्जरी टैक्स** में 7 वर्षों की छूट देने का प्रस्ताव है।
- **पत्तों से बने प्लेट एवं कप**

राज्य में जंगल के पत्तों से पत्तल का निर्माण मुख्यतः गरीब तबके के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह तबका पत्तों से प्लेट एवं कप बनाकर अपना जीवन यापन करता है। ऐसे वर्ग के लोगों से कोई राजस्व भी प्राप्त नहीं होता है। विभिन्न संगठनों द्वारा पत्ते से बने प्लेट एवं कप को वैट से विमुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है। उपरोक्त वस्तु के व्यवसाय में लगे गरीब लोगों को कतिपय परेशानियों से बचाने के लिए पत्तों से बने प्लेट एवं कप पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से पत्तों से बनने वाले प्लेट एवं कप के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा एवं राज्य के गरीब तबके को सहुलियत हो सकेगी।

- **अविनिर्मित तम्बाकू को वैट से मुक्त किया जाएगा**

सरकार ने राज्य में बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देने और इस व्यवसाय में लगे गरीब लोगों के रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से बीड़ी निर्माण में उपयोग में आने वाले तम्बाकू को ''**वैट**'' से विमुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि बिहार में बीड़ी निर्माण में मुख्यतः गरीब तबके के लोग संलग्न हैं। बिहार के पड़ोसी

राज्यों पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड के अलावे देश के कई अन्य राज्यों में भी बीड़ी निर्माण में व्यवहृत तम्बाकू को वैट से विमुक्त किया गया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति ने भी बीड़ी में उपयोग होने वाले तम्बाकू को वैट से विमुक्त रखने की अनुशंसा की है।

(ख) कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव

- **सभी प्रकार की सुतलियां**

राज्य में सभी प्रकार की सुतलियों का प्रयोग समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है। इन पर पड़ोसी राज्य, विशेषकर पश्चिम बंगाल की तुलना में कर दर अधिक होने के कारण व्यापार में विचलन होता है एवं सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व में कमी होती है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर कर दर को युक्ति संगत बनाने के लिए सभी प्रकार के सुतलियों पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- **ऑटो पार्ट्स**

राज्य के वाहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए पुरानी गाड़ियों की मरम्मति में उपयोग में आने वाले ऑटो पार्ट्स पर कर दर घटाने की आवश्यकता है। विशेषकर 2 एवं 3 चक्के वाले वाहनों पर उच्च कर दर के कारण वाहन सेवा प्रभावित हो रही है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल ने ऑटो पार्ट्स पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। ऐसी स्थिति में व्यापार विचलन से बचने के लिए एवं वाहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए ऑटो पार्ट्स पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- **ड्राई फ्रूट**

राज्य में ड्राई फ्रूट्स पर कर दर अधिक होने के कारण इस वस्तु से लगभग नगण्य कर की प्राप्ति हो रही है। ड्राई फ्रूट्स पर कर संग्रहण में बढ़ोतरी लाने एवं पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर कर दर को युक्ति संगत बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- **विनियर, स्प्लिंट एवं नन–साल सॉफ्ट वुड**

राज्य में प्लाई वुड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले विनियर, स्प्लिंट एवं नन–साल सॉफ्ट वुड पर वैट की कर दर को कम करने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, ने उपरोक्त वस्तुओं पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। अतः प्लाई वुड इंडस्ट्री को सुविधा देने तथा व्यापार विचलन को रोकने के लिए विनियर, स्प्लिंट एवं नन–साल सॉफ्ट वुड पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- **घी**

देश के विभिन्न राज्यों में घी पर लागू कर दर 4 प्रतिशत है। बिहार राज्य में घी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का अधिरोपण होता है। डेयरी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने एवं डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दूध से निर्मित वस्तुओं पर लागू कर दर को युक्तिसंगत बनाना, विशेषकर पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर करना, आवश्यक हो गया है। बिहार की अग्रणी डेयरी प्रतिष्ठान द्वारा भी अन्य राज्यों की तर्ज पर घी पर कर दर घटाने की मांग की जाती रही है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तर्ज पर घी पर कर दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- **पुरानी कार के व्यवसायियों के लिए समाहितिकरण योजना**

राज्य में पुरानी कार की बिक्री में अनिबंधित व्यवसायी शामिल हैं जिनपर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। पुरानी कार के व्यवसाय से राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। पुरानी कार के विक्रेताओं को निबंधित करने एवं राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने हेतु राज्य में लागू पुरानी कारों पर कर दर 12.5 प्रतिशत को समाप्त करना आवश्यक है। पुरानी कारों के मामले में कई राज्यों में, विशेषकर हरियाणा एवं असम राज्यों में, कर की समाहितिकरण योजना लागू है। अतः पुरानी कार के बिक्री पर व्यवसायियों द्वारा भुगतान की जाने वाली कर की राशि के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान करने की योजना लागू की जायेगी।

(ग) व्यवसायियों के जन कल्याण की योजनाएँ

- **व्यवसायियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना**

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत सरकार के खजाने को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले करदाता व्यवसायी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इसलिए राज्य सरकार ने निबंधित करदाता व्यवसायियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुबंधित बीमा कम्पनी द्वारा 2 लाख रूपए बीमा राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा।

- **राज्य के बड़े करदाताओं को सम्मानित करने की योजना**

वाणिज्य–कर विभाग के कर संग्रहण के कार्य में राज्य के व्यवसायियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य के करदाताओं को अधिकाधिक कर भुगतान के लिये प्रोत्साहित करने के निमित्त यह आवश्यक है कि राजस्व संग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों के जिन बड़े–बड़े व्यवसायियों का महत्वपूर्ण योगदान है उन्हें भारत सरकार के आयकर विभाग के तर्ज पर एक सम्मान योजना के तहत समुचित रूप से सम्मानित किया जाये। इसके लिए कॉरपोरेट एवं नन–कॉरपोरेट वर्ग के अलावे राज्य के

वाणिज्य–कर अंचलों में सर्वाधिक कर का भुगतान करने वाले पाँच व्यवसायियों को जन समारोह के माध्यम से सम्मानित किया जायेगा।

- **वाणिज्य–कर विभाग में व्यवासायियों के यहाँ पड़े हुए बकाये कर का एक मुश्त निपटारा योजना**

  वाणिज्य–कर विभाग में करोड़ों रूपये की राशि विवादित है जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। विभागीय पदाधिकारियों के समय का एक महत्वपूर्ण अंश इन मामलों के अनुश्रवण में व्यतीत होता है एवं व्यवसायियों का भी बहुमूल्य समय नष्ट होता है। कर विवादों के निपटारा हेतु पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के अलावे गुजरातसहित अनेक राज्यों में विधिक व्यवस्था की गई है। अतः भिन्न–भिन्न प्रकार के विवादों के निपटारा हेतु एक सरल प्रक्रिया गुजरात राज्य के तर्ज पर प्रारंभ करेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

- **वाणिज्य कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण**

  टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज वाणिज्य–कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण कर रही है। वर्ष 2008–09 में व्यापारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के रिटर्न, फार्म, निबन्धन एवं कर भुगतान घर बैठे On-Line किया जा सकेगा। 1 अप्रेल, 2008 से पटना सहित कुछ अंचल On-Line काम करने लगेंगे।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधन

राज्य के आम लोगों के दैनन्दिन जीवन से सीधे जुड़ा निबंधन विभाग सरकार के खजाने में अपनी खासी भागीदारी निभाता है। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर इसके कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त इसकी कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार कर इसे अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाया जा रहा है।

- राज्य में वर्त्तमान में कुल 110 निबंधन कार्यालय हैं जिनमें से **109 कार्यालयों** का अबतक **कम्प्यूटरीकरण** किया जा चुका है।
  - छपे हुए स्टाम्प के विकल्प के रूप में **चालान के माध्यम से सीधे बैंक या कोषागार** में जमा करने की व्यवस्था।
  - अब पक्षकार **निबंधन की तिथि** को ही दस्तावेज वापस पा सकेंगे।
  - क्रेता, विक्रेता एवं पहचान कर्ताओं के छाया चित्र एवं अंगुलियों के निशान की व्यवस्था होगी।
  - निबंधन दस्तावेजों का **इलेक्ट्रोनिक फार्म में अनुरक्षण** हो सकेगा।

- दाखिल–खारिज के लिये अंचलों को दस्तावेजों की **स्कैन्ड कॉपी** भेजने की व्यवस्था होगी।
- निबंधन कार्य को अधिक सुविधा जनक बनाने के लिये बैंकों/बीमा कार्यालयों में **12 फ्रैंकिंग मशीन** लगाये जा चुके हैं।
- अब दो वर्ष के स्थान पर **प्रत्येक वर्ष** 1 अप्रैल से शहरी क्षेत्र की भू–सम्पत्ति का **मूल्यांकन** किया जायेगा।
- राज्य में **तकनीकी** संस्थानों एवं **उद्योगों** की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये इनके उपयोग की भूमि के क्रय एवं लीज दस्तावेजों से संबंधित अभिलेखों के निबंधन के लिये निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की प्रभावी दर पर क्रमशः **50** प्रतिशत एवं **100** प्रतिशत की **छूट** दी गयी है।
- **चीनी** एवं **चीनी आधारित** उधोगों के विस्तार के लिये निजी निवेशकों को भूमि क्रय से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में **शत–प्रतिशत** की **छूट**।
- विकासोन्मुख कार्यों के लिये **बैंकों से कर्ज** लेने पर इस हेतु लिखे जाने वाले बंधक पत्रों एवं स्वंय सहायता समूह के सदस्यों के बीच एग्रीमेंट दस्तावेज के निबंधन में **पाँच लाख रूपये** तक की ऋण की राशि के लिये स्टाम्प शुल्क एवं **निबंधन शुल्क** में पूरी छूट।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** एवं **भूमिहीन व्यक्तियों** तथा अन्य श्रेणियों के उन व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय 25 हजार रूपये से कम हो, को कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस और वकालतनामा **फीस से मुक्ति**।
- देश में पहली बार **फ्लैटों के निबंधन** के बैक लॉग को समाप्त करने के लिये भ्रमणशील कैम्पों में कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था।

  वर्ष 2007–08 में पटना में अबतक 9,750 फ्लैटों के निबंधन से लगभग 81 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति।
- विक्रय दस्तावेजों में जान बूझकर बाजार मूल्य कम कर रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया जा रहा है।

ई–स्टाम्पिंग

- राज्य में 1 अप्रैल 2008 से पटना एवं मुजफ्फरपुर में **ई–स्टाम्पिंग** का पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ''स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया'' के सहयोग से प्रारम्भ किया जायेगा।

  दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश आदि राज्यों में यह व्यवस्था लागू है।

- इस व्यवस्था के अंतर्गत वकील/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/बीमा कंपनी एवं अन्य मार्केटिंग एजेंट को भेंडर नियुक्त किया जायेगा। को–ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर वर्त्तमान स्टाम्प भेण्डरों को भी ई–स्टाम्पिंग में भेंडर रखा जायेगा।
- स्टाम्प खरीदने के इच्छुक व्यक्ति स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त भेण्डर को जितनी रकम का भुगतान करेंगे, उतने का स्टाम्प सर्टिफिकेट कम्प्यूटर से निकाल कर खरीदने वाले को दिया जाएगा।

राजस्व संग्रह

मुद्रांक ड्यूटी में 2 प्रतिशत की कमी एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकास प्राधिकार क्षेत्रों में लगने वाली 5 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर देने के बावजूद राजस्व संग्रहण में वृद्धि :–

निबंधन से राजस्व संग्रह (राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्ति	वर्ष	प्राप्ति
2001–02	314.31	2005–06	566.36
2002–03	387.49	2006–07	540.37
2003–04	462.21	2007–08 (जनवरी 2008तक)	564.05
2004–05	487.31		

वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 में 25% की वृद्धि संभावित है।

उत्पाद

राज्य का उत्पाद जहाँ राज्य के राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है वहीं यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य के आम लोगों को शुद्ध शराब उपलब्ध हो। इसलिये राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर रोक और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से 1 जुलाई 2007 से **''नयी उत्पाद नीति''** लागू की गयी है । इससे अब,

- शराब व्यवसाय पर एकाधिकार समाप्त होगा ।
- बेरोजगार नौजवानों को व्यवसाय से जुड़ने का अवसर मिलेगा ।
- दुकानों की बन्दोबस्ती नीलामी के स्थान पर लॉटरी द्वारा होगी ।
- खुदरा शराब का अधिकतम मूल्य निर्धारित ।
- शराब की अवैध बिक्री पर रोक के लिये शराब की बोतलों पर होलोग्राम स्टीकर लगाने की व्यवस्था प्रारम्भ।
- बिहार उत्पाद अधिनियम में संशोधन कर अनुज्ञप्ति शर्तो के उल्लंघन पर दंड की राशि 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तथा अनुज्ञप्ति की पूर्ण शर्तों के उल्लंघन

के लिये, जिसके कारण राज्य के राजस्व को क्षति पहुँचती है, क्षति की राशि के अतिरिक्त उतनी ही राशि अर्थ दंड के रूप में अधिरोपित करने का प्रावधान।

- भारत निर्मित विदेशी शराब के लेबल निबंधन शुल्क में वृद्धि। शुल्क 10 हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख पेटी से कम का प्रतिवर्ष उत्पादन वाले ब्रांड पर न्यूनतम 35 हजार और 1 लाख से अधिक उत्पादन वाले ब्रांड पर दो लाख का प्रावधान।
- राज्य के 10 जिले, यथा–बक्सर, कैमूर, अरवल, जमुई, शेखपुरा, किशनगंज, सुपौल, शिवहर एवं बॉका में स्वतंत्र रूप से नये उत्पाद कार्यालय खोलने के लिये अधिसूचना निर्गत।

उत्पाद विभाग से विगत वर्षों में प्राप्त राजस्व (राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	वर्ष	राजस्व प्राप्ति
2001–02	249.67	2005–06	319.70
2002–03	248.46	2006–07	383.87
2003–04	236.33	2007–08	381.81
2004–05	272.53	(5 जनवरी 08 तक)	

परिवहन विभाग

पिछले वर्षों में वाहन कर की दर में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गयी थी जिसके कारण परिवहन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था। नयी सरकार ने 2006 में करों की दरों में भारी कमी करते हुए उसे पड़ोसी राज्यों के सुसंगत बनाया गया जिससे परिवहन व्यवसाय पुनः जीवित हो गया है। ट्रक की विक्री तीन गुणा, बस में, 8 गुणा की वृद्धि हुई। यद्यपि राजस्व में कमी आयी है परन्तु वाहनों की संख्या बढ़ने से हजारों लोगों को रोजगार तथा भविष्य में राजस्व वृद्धि की भी सम्भावना है।

विगत चार वर्षों में कोटिवार वाहनों के निबंधन की स्थिति

क्र0	वर्ष	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	ऑटो	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	कुल
1.	2003–04	636	451	6035	607	3108	3687	98676	7213	4033	115	124561
2.	2004–05	489	146	3499	284	1836	2882	73281	5244	3056	410	91127
3.	2005–06	579	113	5062	427	2321	3273	61333	3509	2440	1306	80363
4.	2006–07	1989	921	7409	1326	4430	5027	112985	6160	5281	1718	147309

राजस्व संग्रह (राशि करोड़ रूपये में)

2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
217.91	257.08	308.72	211.00	194.82 (जनवरी 08 तक)

वर्ष 2006–07 में

- राजस्व संग्रह में कमी मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोल्डन कार्ड योजना, जिससे 80 करोड़ 2005–06 में प्राप्त हुआ था, को समाप्त करने तथा वाहन कर की दर को कम करने के कारण हुआ है।
- ड्राईविंग लाइसेंस सहित विभिन्न प्रकार के शुल्कों का वर्षों से पुनरीक्षण नहीं हुआ है। राज्य सरकार शीघ्र सभी प्रकार के फीस को पुनरीक्षित करेगी।
- वाहनों का निबन्धन अभी तक जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा ही होता है। **वाहन विक्रेता** के द्वारा ही निबन्धित करने की व्यवस्था की जा रही है।
- **Smart Card** :- वर्त्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन प्रमाण–पत्र बुक–फार्म में उपलब्ध कराये जाते हैं। अब इसे उच्च तकनीक पर आधारित **स्मार्ट कार्ड** (Smart Card) के रूप में निर्गत किये जाने का विचार है। इस कार्ड में चालक, वाहन मालिक एवं वाहन से सम्बन्धित सारी सूचनाएं दर्ज होंगी जिन्हे कम्प्यूटर के माध्यम से देखा जा सकता है।

  शीघ्र ही निविदा निकालकर वर्ष 2008–09 से इसे लागू किए जाने की संभावना है।
- मोटर वाहन कर/**अर्थ दण्ड के बकाया** के भुगतान को सरल बनाने के लिये बस/ट्रक के लिये 50 हजार से अधिक बकाया, एल0 एम0 भी0 कोटि के वाहनों के लिये 25 हजार या अधिक बकाया तथा ऑटो रिक्सा के लिये 10 हजार रूपये से अधिक बकाया, रोड–टैक्स को **छः किस्तों में भुगतान** करने की सुविधा प्रदत्त की गई है।
  - कृषि कार्य या कृषि उत्पादों के परिवहन कार्यों में प्रयुक्त वैसे कर–प्रमादी या अनिबंधित **ट्रैक्टर/ट्रेलर**, के बकाये का **एक–मुश्त भुगतान** करने पर **सर्वक्षमा की स्वीकृति** दी गयी है। यह योजना 31.03.2008 तक प्रभावी रहेगी।
  - पाँच जिला परिवहन कार्यालय **कम्प्यूटरीकृत**। शेष कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन।
  - **वाहन प्रदूषण** की रोकथाम के लिये निजी क्षेत्र के 106 प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अनुज्ञप्ति दी गयी। पटना शहरी क्षेत्र में 28 केन्द्र स्थापित।
  - अंतर प्रान्तीय परिवहन व्यवस्था को उदार करने के उद्देश्य से बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच **पारस्परिक परिवहन समझौता** संपन्न। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से समझौता हेतु विचार–विमर्श जारी।

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार के विभाजन के बाद शेष बिहार खनिज के मामले में काफी विपन्न स्थिति में आ गया। इसके बाबजूद हमने पिछले दो ढ़ाई वर्षों में पूर्व की तुलना में राजस्व मद में काफी तरक्की की है।

विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक राजस्व संग्रह

राजस्व प्राप्ति (राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्ति
2002–03	57.51
2003–04	67.58
2004–05	75.81
2005–06	97.01
2006–07	117.47
2007–08(जनवरी 2008 तक)	98.19

- सरकार ने **पेट्रोलियम** एवं **प्राकृतिक गैस** के अन्वेषण हेतु **"केयर्न एनर्जी सर्च लि0"** को राज्य के तेरह जिलों में तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन (ONGC) को चार जिलों में **सर्वेक्षण कार्य** की जिम्मेवारी सौंपी है। कार्य प्रगति में है।
- बिहार के पास अपना कोई कोयला भंडार नहीं था। बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने झारखंड राज्य में **सरियो कोयलाटांड़ में एक कोल ब्लॉक** आवंटित किया है। बिहार राज्य खनीज विकास निगम संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से कम्पनी गठित कर उत्खनन करने के लिए MOU की कार्रवाई की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा **उरमा पहाड़ी टोला** में भी **700 एम0टी0** का एक **कोल ब्लॉक** आवंटित किया गया है जिसमें झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड तथा बी0एस0एम0डी0सी0 लि0 को क्रमशः 62.5 प्रतिशत और 37.05 प्रतिशत की साझेदारी है।

विधि विभाग

राज्य की जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस निमित्त सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।

- **बिहार न्यायिक पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान** द्वारा 365 न्यायिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- इस संस्थान द्वारा **पंच**, **सरपंच** एवं **न्यायमित्रों** को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस संस्थान के भवन हेतु 16 करोड़ 51 लाख की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में 2 करोड़ तथा 2008–09 में 89 लाख रूपये का उपबन्ध।
- **मोबाइल लोक अदालत** के माध्यम से 1,70,727 तथा **मोबाइल भान** के माध्यम से 60,269 मामलों का नवम्बर 2007 तक निष्पादन।

- राज्य के आठ जिलों में **विधिक सहायता–सह–सुलह केन्द्र** की स्थापना।
- बांका, लखीसराय, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, शिवहर और अरवल जिलों में **परिवार न्यायालय** की स्थापना।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

सर्वधर्म समभाव राज्य सरकार के नीति निर्धारक तत्वों में एक हैं। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये मई 2006 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति ने पूरी गतिशीलता का परिचय देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

- बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास **अधिनियम,1951 में व्यापक संशोधन** कर देश में पहली बार ऐसा कानून बना जिसमें न्यास की सारी अतिक्रमित या अवैध ढंग से बेची गयी भूमि को वापस करने, धर्माचार्यों को दायित्व, धर्माचार्यों के मन्तव्य को महत्व, आय व्यय में पारदर्शिता का प्रावधान किया गया है।
- हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर, गरीब नाथ मंदिर मुजफ्फरपुर, जगन्नाथ मंदिर बोध गया, महादेव मंदिर बिहटा जैसे **प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार** कराया जा रहा है।
- अनेक न्यासों के तहत धर्मार्थ चिकित्सालय, विद्यालय, धर्मशालाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसमें कबीर मठ मुजफ्फरपुर में संत कबीर हृदय अस्पताल, सुजा राम जानकी ठाकुरबाड़ी बेगूसराय में जगदगुरू रामानन्दाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, सीतामढ़ी में वात्सल्य अस्पताल, हाजीपुर में अनाथाश्रम और जीवन –ज्योति केन्द्र, सिंहेश्वर स्थान (मधेपुरा) में धर्मशाला, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर प्रांगण में चिकित्सा भवन का निर्माण किया जा रहा है।
- **दलितों** को मंदिरो में न केवल न्यासधारी बनाया गया है बल्कि उन्हें **पुजारी** भी बनाया गया है। यथा– विशाल नाथ मंदिर हाजीपुर, शिवमंदिर बिहटा, राम जानकी ठाकुरबाड़ी पालीगंज में पुजारी के रूप में दलित और महादलित वर्ग के पुजारी नियुक्त किये गये हैं। जगन्नाथ मंदिर बोधगया एवं नवरत्न मंदिर बेगूसराय में भी दलित पुजारी नियुक्त करने की योजना है।
- **अजगैबी नाथ मन्दिर**, सुल्तानगंज में **108 फीट ऊँची धनुर्धर शिव** की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है।
- **बरबीघा** के पास **सामस** गॉव से प्राप्त साढ़े सात फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा देश की सबसे विशाल प्रतिमा के रूप में सत्यापित की गयी है। इसे एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है।
- **भभुआ** के पास कैमूर पहाड़ी पर स्थित **मुण्डेश्वरी भवानी** का मन्दिर देश के प्राचीनतम मन्दिर के रूप में सत्यापित किया गया है। इस मन्दिर के सारे ऐतिहासिक,

पौराणिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों को जुटाकर 80 पृष्ठों की पुस्तिका निकालकर इसके महात्म्य की जानकारी दी जा रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

संसदीय कार्य विभाग

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय कार्य विभाग विधायी कार्यों के संयोजन को गुरूत्तर दायित्व का निर्वहन करता है। इसलिये इसकी एक खास अहमियत है। इस विभाग में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

माननीय विधायकों को लैप–टॉप

लगभग दो करोड़ की लागत पर माननीय विधायकों एवं विधान पाषर्दों को **लैप–टॉप** 31 मार्च–2008 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाएगा।

राष्ट्रकुल देशों का सम्मेलन

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों/विधायकों का एक संघ है। इसके **चतुर्थ इंडिया एवं एशिया रीजन सी0पी0ए0 कान्फ्रेंस** नवम्बर 2008 में पटना में प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में **पाकिस्तान**, **बांगलादेश**, **श्रीलंका** एवं **मालदीव** के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारतीय संसद एवं भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के **राष्ट्रमंडल संसदीय संघ** की शाखाओं के कुल 149 प्रतिनिधियों के भाग लेने की सम्भावना है। बिहार के लिए इस सम्मेलन की मेजबानी का यह पहला अवसर है।

विधानमंडल के माननीय सदस्यों को चिकित्सा सुविधायें

- विधान मंडल के सदस्यों/पूर्व सदस्यों की चिकित्सा उपचार हेतु चिकित्सा उपचार नियमावली का पुनर्गठन किया गया।
- बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम क्षेणी के पदाधिकारियों के समकक्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा के लिए राज्य सरकार के मान्यताप्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराने एवं भुगतान सीधे ही संबंधित अस्पताल को विधान मंडल सचिवालय द्वारा किया जा सकेगा।
- वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से 2.00 लाख रूपये तक की स्वीकृति बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् के सचिव देगें। दो लाख से अधिक राशि की स्वीकृति आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विधान सभा के अध्यक्ष एवं बिहार विधान परिषद् के सभापति देंगे।
- वहिर्वासी चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था सदस्य/पूर्व सदस्य स्वंय अथवा

आश्रितों के उपचार के लिए विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव बिहार विधान परिषद् को देंगे, और सचिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद्, सदस्य/पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेगें।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अन्न और किरासन तेल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है। इस निमित्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2006 में बी0पी0एल0 सूची का संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,13,41,000 बी0पी0एल0 परिवार परिलक्षित हुये है। शहरी क्षेत्र में भी सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है।

- 29 जनवरी 2008 की सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मती से उक्त सर्वेक्षण के आधार पर बढे हुए बी.पी.एल. परिवारों के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान मांगने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। 11 फरवरी को इसी क्रम में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा।

- **किरासन तेल** :

  ग्रामीण क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर प्रतिमाह 4 लीटर प्रति परिवार किरासन तेल उपलब्ध कराया जाता है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार एक विरल वृक्षाच्छादन वाला राज्य है। यहाँ मात्र 10% भाग वृक्षादित है। अस्तु राज्य में वृक्षारोपण योजना को बढ़ावा देने के प्रति सरकार सजग है। इसलिये वर्ष 2004–05 में जहाँ मात्र 1464.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान था वहीं वर्ष 2007–08 में यह बढ़ाकर 4016.767 लाख कर दिया गया है।

छात्र वृक्षारोपण योजना :–

पूरे देश में अपने ढ़ग की अनूठी और इस पहली योजना के अंतर्गत आठवीं, नौवीं एवं दसवीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को कम से कम एक वृक्ष लगाने, उसकी परवरिश तथा तीन वर्षों तक सुरक्षा करने के लिये प्रतिवर्ष 100/– रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2006–07 में एक लाख छब्बीस हजार से अधिक छात्रों की इस योजना में सहभागिता रही। इस वर्ष तीन लाख छात्रों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है।

वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना :–

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत समुदाय आधारित यह योजना मार्च 2006 से

प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार के वैशाली जिले में ''**पोपलर**'' जैसे शीघ्र बढ़ने वाले पौधों के साथ कृषि वानिकी का कार्य किया जा रहा है। किसानों की आर्थिक समृद्धि में इसका व्यापक योगदान होगा। वर्ष 2008–09 में 76 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

- वर्ष 2004–05 में मात्र 54.00 लाख पौधों का रोपण हुआ था जबकि वर्ष 2006–07 में 175 लाख तथा 2007–08 में 130 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध जनवरी 2008 तक 1,69,334 पौधों का रोपण किया जा चुका है।
- वर्ष 2004–05 में पथों/नहरों एवं नदी तट–बंधों पर मात्र 56 किलोमीटर में रैखिक वृक्षारोपण किया गया था जबकि गत वर्ष 662 कि0मी0 वृक्षारोपण किया गया। वर्ष 2007–08 में 1057.5 कि0मी0 में कार्य प्रगति पर हैं।
- पटना शहर में आम लोगों के लिये पारिस्थितिकी उद्यान एवं स्मृति वन विकसित करने का कार्य समापन पर है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

- अनेक वर्षों के बाद **गणतंत्र दिवस** के अवसर पर **दिल्ली में परेड** के दौरान बिहार की झाँकी प्रदर्शित की गयी।
- वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों के प्रकाशन पर 10.00 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान 2008–09 में किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 में आठ स्थानों क्रमशः नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, खगड़िया, दरभंगा एवं शिवहर में निर्मित्त हो रहे **जिला स्तरीय सूचना भवन** का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। इसके लिए 100.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।
- आउटडोर पब्लिसिटी/फिल्म के निर्माण एवं प्रदर्शन/बुकलेट इत्यादि के प्रकाशन/प्रेस रिलेटेड एक्टीविटीज/इलेक्ट्रोनिक डिसप्ले बोर्ड इत्यादि के माध्यम से बिहार में विकास एवं निवेश का वातावरण बनाने पर 120.00 लाख रूपये के व्यय का अनुमान किया गया है ।
- **नयी विज्ञापन नीति घोषित**।

योजना एवं विकास विभाग

राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला) – राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत पिछड़ा जिला पहल के तहत राज्य के 21 जिलों को प्रति जिला 45.00 करोड़ की दर से कुल 945.00 करोड़ रू0 की योजनायें अनुमोदित की गई है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल 772.50 करोड़ रू0 जिलों को आबंटित की गई है। इस योजना के तहत 1668 कि0 मी0 पथ निर्माण, 27 बड़े आकार के पुल, विद्यालयों में 2627 अतिरिक्त कक्षा

निर्माण, 590 स्वास्थ्य केन्द्र, 1645 ऑगनबाड़ी केन्द्र, 6 दुग्ध चिलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

मुख्यमंत्री जिला विकास योजना –राज्य के जिन 17 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला) के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। उन जिलों में **''मुख्यमंत्री जिला विकास योजना''** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रूपये की दर से कुल 510 करोड़ रू0 की योजनाएँ अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008–09 में इस मद में 172.50 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया है।

योजना के तहत मुख्य रूप से 383 पथ एवं पुल–पुलियों के निर्माण की योजना, विद्यालयों में 684 अतिरिक्त कमरों का निर्माण, 201 स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण तथा 437 ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की योजनाएँ कार्यान्वित कराई जा रही है।

महोदय, अब मैं राज्य के आय एवं व्यय के आँकड़ें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

- **अपने स्रोतों से आय**

  राज्य की अपने स्रोतों से राजस्व लगभग **5681** करोड़ रूपये सम्भावित है जिसमें से कर राजस्व 5259 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 422 करोड़ रूपये है। वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य का कर राजस्व 4875 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 418 करोड़ रूपये कुल राजस्व 5293 करोड़ रूपये था। वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनवरी, 2008 तक वाणिज्य–कर विभाग द्वारा 2463.06 करोड़ रूपये, माह दिसम्बर, 2008 तक उत्पाद विभाग द्वारा 344 करोड़ रूपये, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में 510 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग में 168 करोड़ रूपये एवं कर भिन्न राजस्व में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा 79 करोड़ रूपये, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 4 करोड़ रूपये एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 5 करोड़ रूपये की वसूली की गयी है।

- **राज्य को केन्द्र सरकार से अनुदान** :– वर्ष 2008–09 में राज्य को विभिन्न योजनाओं में **सहायक अनुदान** के रूप में केन्द्र सरकार से लगभग 8776 करोड़ रूपये की प्राप्ति सम्भावित है। इसमें गैर योजना मद में 1790 करोड़ रूपये, योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान 4565 करोड़ रूपये, केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये लगभग 198 करोड़ रूपये तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये 2223 करोड़ रूपये शामिल हैं।

- **गैर योजना मद**

  ✻ 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर – 1547 करोड़ रूपये

  ✻ आपदा राहत निधि में – 122 करोड़ रूपये

  ✻ पुलिस बल का आधुनिकीकरण – 81 करोड़ रूपये

  ✻ कारा आधुनिकीकरण – 43 करोड़ रूपये

  ✻ केन्द्रीय सड़क निधि से – 40 करोड़ रूपये

  - **राज्य योजना हेतु अनुदान**

  ✻ राज्य योजना के लिये अनुदान के रूप में निम्न प्रकार राशि 4565 करोड़ चिन्हित की गयी है:–

  ✻ राष्ट्रीय सम विकास योजना – 2138 करोड़ रूपये

  ✻ सामान्य सहायता – 814 करोड़ रूपये

* राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – 456 करोड़ रूपये
* त्वरित सिंचाई लाभ योजना – 450 करोड़ रूपये
* राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना – 330 करोड़ रूपये
* 12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में विशिष्ट कार्यों के लिये – 111 करोड़ रूपये
* त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम – 49 करोड़ रूपये
* सड़क और पुल – 41 करोड़ रूपये
* सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – 32 करोड़ रूपये
* एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि – 30 करोड़ रूपये
* ई–प्रशासन के लिये – 27 करोड़ रूपये
* बेसहारा बालिकाओं के लिये पौष्टिक आहार – 14 करोड़ रूपये
* अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए – 5 करोड़ रूपये
* संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत – 3 करोड़ रूपये

- **केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम**

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के अनुदान मद में कुल 2223 करोड़ रूपये का प्रावधान है । इसमें

* समेकित बाल विकास के लिये – 550 करोड़ रूपये
* त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिये – 397 करोड़ रूपये
* परिवार कल्याण के लिये – 190 करोड़ रूपये
* अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ – 53 करोड़ रूपये
* कृषि एवं वन कार्य के लिये – 53 करोड़ रूपये
* कमान क्षेत्र के विकास के लिये – 06 करोड़ रूपये
* मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये – 29 करोड़ रूपये
* अंतर्राज्यीय महत्व की सड़क संपर्क हेतु – 10 करोड़ रूपये
* वानिकी तथा वन्य प्राणी – 6 करोड़ रूपये
* सामान्य शिक्षा एवं अन्य प्रौढ़ शिक्षा – 6 करोड़ रूपये

* पशुपालन एवं मत्स्य के लिये – 4 करोड़ रूपये
* त्वरित शहरी जलापूर्ति के लिये – 4 करोड़ रूपये
* आर्थिक महत्व की सड़क के लिये – 3 करोड़ रूपये
* जनगणना तथा सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी – 3 करोड़ रूपये
* कला एवं संस्कृति विभाग – 1 करोड़ रूपये

- **केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत**

  केन्द्रीय योजनागत योजना स्कीमों के अनुदान मद में कुल 198 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इसमें,

* कोशी नदी, कमला नदी, ललबकिया एवं बागमती नदी के तटबंधो एवं सुदृढ़ीकरण हेतु – 195 करोड़ रूपये
* कृषि आर्थिक एवं सांख्यिकी संग्रहण हेतु – 2 करोड़ रूपये
* मदरसा एवं संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए – 1 करोड़ रूपये

- **राज्य द्वारा लिये जानेवाले ऋण**

  राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल **4500** करोड़ रूपये के ऋण लेना प्रावधानित है। इसमें से केन्द्र सरकार से मात्र 8 करोड़ रूपये प्राप्त होगा जबकि वर्ष 2007–08 में पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल 4776 करोड़ रूपये ऋण प्रस्तावित है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में राजकोषीय सुधार पथ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक अधिसीमित किया जाना है। उक्त् के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008–09 में 2007–08 की तुलना में कम ऋण लिया जाना प्रस्तावित है ।

राज्य का व्यय

- राज्य के व्यय को मुख्यतः तीन श्रेणी, यथा– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवाओं के रूप में लेखाकिंत किया जाता है।

  आर्थिक सेवायें :–

  आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप, ग्रामीण विकास, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खनिज, पथ, परिवहन आदि प्रक्षेत्र हैं। इन सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 में 11834 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक सेवायें

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्त्ति एवं सफाई, आवास और शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रमिक कल्याण, समाज कल्याण आदि प्रक्षेत्र हैं। इन सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 में 13626 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सामान्य सेवायें

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद्, न्याय प्रशासन, चुनाव, राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग, सूद, पेंशन, लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य इत्यादि पर होने वाले व्यय को रखा जाता है। इन सेवाओं के लिए वर्ष 2008–09 में 11109 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

- वर्ष 2008–09 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 33,551 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित अनुमान 28,557 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 4994 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2007–08 की तुलना में अधिक प्राप्त होगा।
- वर्ष 2007–2008 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 4802 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी थी। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 4522 करोड़ रूपये प्राप्त होना संभावित है। पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 280 करोड़ रूपये कम हो रही है। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि सम्मिलित रहती है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के आलोक में कम राशि का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2007–2008 का पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों से कुल 33359 करोड़ रूपये प्राप्त होनी थी। वर्ष 2008–2009 में राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का 38073 करोड़ रुपये का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4714 करोड़ रूपये अधिक है।
- वर्ष 2007–2008 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 24,764 करोड़ रुपये आंका गया था। वर्ष 2008–2009 में राजस्व व्यय 28,938 करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4274 करोड़ रूपये अधिक है।

- वर्ष 2007–2008 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय 9,020 करोड़ रूपये आंका गया है। वर्ष 2008–2009 में पूंजीगत व्यय 9636, करोड़ रूपये आंका गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 616 करोड़ रूपये अधिक है।
- राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2007–2008 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 33,784 करोड़ रुपये का है। वर्ष 2008–2009 में 38,574 करोड़ रुपये का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4790 करोड़ रूपये अधिक है।
- वर्ष 2008–2009 में राज्य की वार्षिक योजना 13,500 करोड़ रूपये की है, जिसमें प्रथम बार निर्धारित योजना उद्व्यय के अनुरूप 13,500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान कर लिया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 2,449 करोड़ रूपये को व्यय होना प्रस्तावित है।

- **आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–**

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण (राशि करोड़ में)

सं०	**विवरण**	**2007–08 का पुनरीक्षित प्राक्कलन**	**2008–09 का बजट प्राक्कलन**
1	**2**	**3**	**4**
1	कुल राजस्व प्राप्ति (2+3)	28557.20	33550.98
2	राज्य सरकार का राजस्व	5293.29	5680.71
3	केन्द्र से प्राप्त राजस्व	23263.91	27870.27
4	राजस्व व्यय (जिसमें)	24763.92	28937.89
5	राजस्व बचत(+)/ घाटा(–) (1–4)	3793.28	4613.09
6	पूंजीगत व्यय (शुद्ध)	7368.03	7938.12
7	कुल व्यय (4+6)	32131.95	36876.01
8	राजकोषीय बचत (+)/घाटा(–)(5–6)	–3574.75	–3325.03
9	ऋण अदायगी	1625.89	1676.21
10	कुल राशि की आवश्यकता (9–8)	5200.64	5001.24
11	ऋण उगाही	4776.38	4500.32
12	लोक लेखा से प्राप्ति	–884.25	444.92
13	नगद अवशेष से उपलब्ध राशि	1305.51	56.00

इस प्रकार वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार को अपने व्यय वहन करने के लिए कुल 4500.32 करोड़ रूपये का ऋण लेना होगा, जिसमें से 1676.21 करोड़ के पुराने ऋणों की अदायगी की जायेगी और शेष पूँजीगत व्यय वहन करने के लिए उपयोग की जायेगी।

बिहार वित्त विधेयक, 2008

अब मै बिहार वित्त विधेयक, 2008 के मुख्य प्रावधानों से सदन को अवगत कराना चाहूँगा। इसकी एक प्रति माननीय सदस्यों को बजट पुस्तिकाओं के साथ उपलब्ध कराई गई है।

भाग–I मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में संशोधन

भाग–II भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 (1899 का अधिनियम संख्या–11) में संशोधन

1. मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य के रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ–साथ कोस्ट एकाउटेंट को भी नियुक्त किया जा सके।
2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निबंधन शुल्क की कर वंचना को रोकने के लिए प्रावधानों में व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया जा रहा है कि यदि लिखत में अंकित संपत्ति का बाजार मूल्य न्यूनतम मूल्य के मार्गदर्शक पंजी से निम्न दर पर दिया गया हो तो ऐसी लिखत को निबंधित करने से पूर्व समाहर्त्ता को उचित बाजार मूल्य एवं उस पर देय शुल्क के निर्धारण के लिए रेफर कर दिया जाएगा।
3. यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि यदि निबंधन पदाधिकारी को यह लगे की लिखित में सम्पत्ति का बाजार मूल्य यद्यपि मार्गदर्शक पंजी के अनुरूप है, लेकिन फिर भी सही नहीं दिया गया है और अधिक होना चाहिए तो वह लिखित को निबंधित करते हुए समाहर्त्ता को रेफर करेगा।
4. यदि समाहर्त्ता सम्पति का बाजार मूल्य ज्यादा निर्धारण करते हैं तो अंतर भुगतेय शुल्क समय से नहीं देने पर उसमें ब्याज एवं पेनाल्टी का भी प्रावधान किया जा रहा है।

- **स्टाम्प शुल्क किरायानामा में बढ़ोत्तरी** :– मकान/ फ्लैट/ भवन को किराये पर दिये जाने से संबंधित किरायानामे में अधिसूचना द्वारा संशोधन किया जा रहा है, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। इसके अनुसार यदि मकान, फ्लैट, भवन के साथ खाली भूखण्ड किराए पर दिया जा रहा हो तो भूखण्ड के किराए के लिए अनुच्छेद–35 के अनुरूप किराए की रकम का ½% (आधा प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क देय होगा। इससे राजस्व कर संग्रहण में वृद्धि होगी।

महोदय,

''बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता है'' यह निराशा का भाव समाप्त हुआ है। जो लोग राज्य से पलायन कर गये थे, वे वापस लौटने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों की संख्या घटी है। रौनक, खुशहाली लौट रही है। पूंजी निवेश करनेवाले उद्योगपतियों का आना प्रारंभ हो गया है। नई सरकार में लोगों का विश्वास पैदा हुआ है। लोग कहने लगे हैं कि **''ये लोग ही कुछ कर सकते हैं''।** अब नकारात्मक समाचार नहीं छपते। अब पूरे देश में बिहारी अपनी पहचान नहीं छुपाता है बल्कि गर्व से कहता है कि **''मैं बिहारी हूँ''**। बीमारू (BIMARU) राज्यों की श्रेणी में से बिहार को बाहर निकालना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में राज्य विकास की ओर चल पड़ा है। अब विकास की इस गति को कोई रोक नहीं सकता है।

''जिस दिन से चले हैं– मंजिल पर नजर है,
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।''

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 2008–09 की वार्षिक वित्तीय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संबंधित अनुदान की माँगे एवं अन्य बजट दस्तावेजों को माननीय सदस्यों के समक्ष परिचारित कर रहा हूँ।

जय बिहार ! जय भारत !! वंदे मातरम् !!!